

Sarita
27-3-17
Encl (39) page
3.30 P.M

Request 95
Recd - on 24.03.17 at 12.10 P.M
27.3.17

From, Ravindra Vikram Singh, HJS
Officer on Special Duty (J)(Litigation)
High Court, Lucknow Bench,
Lucknow.

Reg. No. 6257
File No. 17/219
Serial No. 126

28-3-17
28/3/17

To, Sri Shesh Mani, HJS,
Officer on Special Duty (J)(Litigation)
High Court Judicature at
Allahabad.

28-3-17

No. 2285 /Lit./2017

Dated 23.03.2017.

Sub.:- Writ Petition No.5774(S/B) of 2017- Rakesh Tripathi vs State of Uttar Pradesh and others

Sir,
I am to say that aforementioned writ petition was listed before the Hon'ble court on 10.03.2017, as fresh, on which date, Hon'ble the Court has granted six weeks' time to file counter affidavit in the matter.

I am, therefore, to send herewith an uncertified copy of Hon'ble the Court's order dated 10.03.2017 passed in the aforementioned writ petition with the request to send parawise narrative of the aforementioned writ petition, to this Bench, immediately, so that same may be provided to counsel concerned for preparation of draft counter affidavit in the matter.

Encl.:- As above.

Yours faithfully,

23.3.17

O.S.D.(J)(Litigation)

Keep instructions from Reg (Budget) ✓
24.3.17

S.O. (Litigation)
Please with file
24.03.2017

DRCM

9/7/17
Reg (DUS)

DLI S.O. (Litigation)
Please seek instructions as directed by Lucknow
24.03.2017

urgent -
D.R. (RR.) Admin
S.O. A1

S.O. Admin A
Miss file has been submitted on 25-3-17-bar N.O.C.

Sarita
MS
28/3/17
RR

R/O
27/3/2017
DRCM

28-3-17

Court No. - 2

Request 95

Case :- SERVICE BENCH No. - 5774 of 2017

Petitioner :- Rakesh Tripathi

Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Law Civil Sectt.Lucknow & Ors.

Counsel for Petitioner :- Santosh Kumar Misra, Vikesh Ram Tripathi

Counsel for Respondent :- C.S.C., U.N. Misra

Hon'ble Shri Narayan Shukla, J.

Hon'ble Sheo Kumar Singh-I, J.

Notices have been accepted by learned Standing Counsel for the opposite party nos.1, 2 and 3 as well as Mr. Gaurav Mehrotra, Advocate has appeared on behalf of the respondent no.4.

Six weeks' time as prayed by learned Standing Counsel to file counter affidvit.

Time as prayed for is allowed.

List thereafter.

Order Date :- 10.3.2017

amit

(Sheo Kumar Singh-I, J)

(Shri Narayan Shukla, J.)

Request-95

Code :
Group :(Service Bench)
District : Lucknow.

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE
AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

WRIT PETITION NO. (S/B) OF 2017

Rakesh TripathiPetitioner

Versus

State of U.P. and OthersOpposite Parties

I N D E X

Sl. No.	Enclosure No.	Description of Papers	Page Nos.
1.		List of Dates and Events	1-3
2.		Application for Interim Relief	4
3.		Writ Petition	5-13
4.	Annexure No.1	The copy of the Government order dated 13/05/2009.	14-17
5.	Annexure No.2	A copy of the certificate of the petitioner regarding Post Graduation in Law.	18
6.	Annexure No.3	The copy of the letter dated 27/11/2013.	19
7.	Annexure No.4	A copy of the communication made by the respondent no.2 to the petitioner dated 09/12/2013.	20
8.	Annexure No.5	The copy of the letter dated 21/01/2014.	21-25

1a

Request 95

9.	Annexure No.6	A copy of the letter dated 11/02/2014.	26-27
10.	Annexure No.7	Copy of letter dated 24/06/2002.	28-29
11.	Annexure No.8	The copy of the representation made by the petitioner to the state Government dated 11/07/2016.	30-32
12.	Annexure No.9	The copy of the letter dated 23/08/2016.	33
13.	Annexure No.10	The copy of the letter dated 31/08/2016.	34
14.		Affidavit	35-36
15.		I.D. Proof	37
16.		Vakalatnama	38

Place: Lucknow.

Dated: 9-03-2017

Santosh Mishra
Santosh Mishra
Advocate

Counsels for the petitioner
AOR: B/S 0329
Ph: 9415214056

Vikesh
Dr. Vikesh Ram Tripathi
Advocate

AOR: B/V 0587

Request-95

①

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE
AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

WRIT PETITION NO. (S/B) OF 2017

Rakesh TripathiPetitioner
Versus
State of U.P. and OthersOpposite Parties

LIST OF DATES AND EVENTS

Sl. No.	Dates	Events
1.	16-06-2006	The petitioner is a Judicial Officer and was selected through U.P. P.C.S. (J) Examination-2003 and after being selected, the petitioner has joined the services as Additional Civil Judge (Junior Division) in 2006 i.e. on 16-06-2006 at Ghazipur.
2.	2009	The petitioner was promoted in the year of 2009 as Additional Civil Judge (Senior Division) / A.C.J.M. and has been posted at District Jhansi. Thereafter, the petitioner has been transferred to District Mathura and presently the petitioner is posted as Judge Small Causes Courts, Varanasi.
3.	--	After 5th Central Pay Commission report had been accepted and there was no relief available for the members of the judicial subordinate services, a question arose that pending recommendation of the Shetty Commission whether any interim orders can be passed giving some relief accordingly on 16-12-1997, another term of reference was added, according to which the Commission was empowered to consider and grant such interim relief as it may consider just and proper to all categories of Judicial Officers of all the States and Union Territories.
4.	--	Approving the recommendations of the Shetty Commission, the Hon'ble Apex Court in Case

V. Kesh

No.1022 of 1989 (All India Judges Association and others Versus Union of India and others) has passed a detail order and has directed to implement the report of the Shetty Commission.

5. 13-05-2009 The State Government has also implement the recommendation of the Shetty Commission for grant of 3 advance increments by a Government order dated 13/05/2009.
6. -- The petitioner having Post Graduate Degree in Law is thoroughly entitled to get the benefit of the Government order dated 13/05/2009.
7. -- The petitioner was also given the benefit of the 3 advance increments with effect from 16/06/2006 upto 2009 the date when the petitioner was promoted to the post of Additional Civil Judge, Senior Division.
8. 21-01-2014 The petitioner made a request to his higher officer i.e. District Judge, Mathura who in turn had sent a letter on 27/11/2013 to the Additional Director, Treasury, U.P., Allahabad but the Additional Director, Treasury did not take any action, then he petitioner made a representation before the Additional Director, Treasury.
9. 27-11-2013 The petitioner made a request to the Hon'ble District Judge, Mathura where the petitioner was posted and the Hon'ble District Judge, Mathura has sent a letter on 27/11/2013 to the Additional Director, Treasury, Camp Office, Directorate of Treasury, U.P., Allahabad for grant of salary slip regarding 3 advance increments after being promoted in Class I category.
10. 09-12-2013 The respondent no.2 has sent a communication on 09/12/2013 to the petitioner that there is

V. K. Singh

no occasion to recalculate and issue again the salary slip to the petitioner.

11. 21/01/2014 The petitioner again represented to the respondent no.2 with entire narration of facts regarding the payment of advance increments and has also specifically submitted that the Shetty Commission has made recommendation on the basis of the decision of Delhi Administration.
12. 11-02-2014 The respondent no.2 has referred the matter to the State Government vide letter dated 11/02/2014 seeking direction for payment of advance increments to the petitioner and cadre of the petitioner.
13. -- The petitioner is bringing on record the Government order of 2002 which entitles the Judicial Officers of the Delhi Administration for grant of advance increments throughout the entire career.
14. 11-07-2016 The petitioner thereafter represented to the State Government vide representation dated 11/07/2016.
15. 23-08-2016 The State Government has sent a letter dated 23/08/2016 informing the petitioner to represent his cause through the Registrar General, Hon'ble High Court at Allahabad.
16. 31-08-2016 The petitioner has represented his grievance through learned Hon'ble District Judge, Varanasi to the Registrar General, Hon'ble High Court, Allahabad on 31/08/2016.

Hence, the present writ petition.

Santosh Mishra

V. Kesh

Place: Lucknow.

Santosh Mishra
Advocate

Dr. Vikesh Ram Tripathi
Advocate

Dated: 9-03-2017

Counsels for the petitioner

Request-95

(4)


**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE
AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW**

C.M. APPLICATION NO. OF 2017

In re:

WRIT PETITION NO.

(S/B) OF 2017



Rakesh Tripathi

.....Applicant/Petitioner

Versus

State of U.P. and Others

.....Opposite Parties

APPLICATION FOR INTERIM RELIEF/STAY

The abovenamed applicant / petitioner most respectfully begs to submit as under:-

That for the facts, reasons and circumstances disclosed in the accompanying Writ Petition duly supported by an affidavit, it is most respectfully prayed that in the meantime this Hon'ble Court may be pleased to direct the State Government to take decision on letter dated 11.02.2014 and upon representation dated 31.08.20016 of the petitioner for the payment of advance increments throughout the employment in view of the recommendation of Shetty Commission as upheld in All India Judges Association and Others Versus Union of India and others reported in 2002(4)SCC 247, during the pendency of this Writ Petition,

and/or

to provide any other relief in favour of the petitioner as this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

Place: Lucknow.

Santosh Mishra
Advocate

Dr. Vikesh Ram Tripathi
Advocate

Dated: 9-03-2017

Counsels for the Applicant/ petitioner




Request-95

5

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE
AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

WRIT PETITION NO.

(S/B) OF 2017



Rakesh Tripathi, aged about 39 years, son of Shri Ravi Ram Tripathi, resident of A-2, D.M. Compound, Varanasi.

.....Petitioner

Versus

1. State of U.P. through its Principal Secretary, Law, Civil Secretariat, Lucknow.
2. The Principal Secretary, Appointment and Personnel, Civil Secretariat, Lucknow
3. The Additional Director, Treasury, Directorate of Treasury,, U.P., Allahabad.
4. Registrar General, Hon'ble High Court, Allahabad.

.....Opposite Parties

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226
OF THE CONSTITUTION OF INDIA

To,


The Hon'ble Chief Justice and his Companion Judges of this Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow.

The above named petitioner most respectfully begs to submit as under:



Rakesh

1. That this is the first Writ Petition filed by the petitioner for seeking the relief claimed in this Writ Petition and prior to this Writ Petition, the petitioner has not filed any other Writ Petition either in the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad or at Lucknow Bench, Lucknow.
2. That the petitioner has not received any caveat, notice or information by registered post or by any other means from any of the respondents.
3. That the present matter of the Writ Petition is being preferred before this Hon'ble Court for issuing a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the State Government to take decision on letter dated 11.02.2014 and up-on representation dated 31.08.20016 of the petitioner for the payment of advance increments throughout the employment in view of the recommendation of Shetty Commission as upheld in All India Judges Association and Others Versus Union of India and others reported in 2002(4)SCC 247.
4. That for kind reference of this Hon'ble Court, some brief facts are being submitted herein under:
5. That the petitioner is a Judicial Officer and was selected through U.P. P.C.S. (J) Examination-2003 and after being selected, the petitioner has joined the services as Additional Civil Judge (Junior Division) in 2006 i.e. on 16-06-2006 at Ghazipur. Thereafter, the petitioner was promoted in the year of 2009 as Additional Civil Judge (Senior Division) / A.C.J.M. and was posted at District Jhansi. Thereafter, the petitioner was transferred to District Mathura and presently the petitioner is posted as Judge Small Causes Courts, Varanasi. The pay scale of the petitioner is Rs.46930 and he is a Class I Officer. The petitioner has rendered




unblemished services with entire dedication to his obligation of duty.

6. That after 5th Central Pay Commission report had been accepted and there was no relief available for the members of the judicial subordinate services, a question arose that pending recommendation of the Shetty Commission whether any interim orders can be passed giving some relief. Accordingly on 16-12-1997, another term of reference was added, according to which the Commission was empowered to consider and grant such interim relief as it may consider just and proper to all categories of Judicial Officers of all the States and Union Territories. It was made clear that the interim relief if recommended was to be adjusted against and included in the package which may become admissible to the Judicial Officers on the final recommendation of the Commission.

Some interim relief was granted by the Justice Shetty Commission and finally after detail deliberations, the Shetty Commission has submitted its report on 11-11-1999. The report of Shetty Commission is thoroughly voluminous, the significant para of the report which is relevant for the purpose of the present Writ Petition is para 8.48 Page 90, which is being verbatim quoted hereunder:

8.48 *∴ If selected candidates are having a higher qualification like Post Graduate in Law, we recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that the Post Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.*



That from bare perusal of the recommendations of the Shetty Commission, it is crystal clear that the Shetty Commission had intent to benefit those candidates who have higher qualification of the Post Graduation in Law. The

recommendation of the Shetty Commission is based upon the decision of the Delhi Administration wherein the Judicial Officers are getting the advance increments throughout their entire employment/service tenure and taking instance from the Delhi Administration, the Shetty Commission has recommended for grant of the 3 additional increments.

8. That approving the recommendations of the Shetty Commission, the Hon'ble Apex Court in Case No.1022 of 1989 (All India Judges Association and others Versus Union of India and others) has passed a detail order on 21.03.2002 reported in (2002)4 SCC ,247 and has directed to implement the report of the Shetty Commission.
9. That the recommendation of the Shetty Commission and the direction issued by the Hon'ble Apex Court in case of All India Judges Association, the report of the Shetty Commission has been implemented in various States including Delhi.
10. That the State Government has also implement the recommendation of the Shetty Commission for grant of 3 advance increments by a Government order dated 13/05/2009. The copy of the Government order dated 13/05/2009 is being annexed herewith and marked as **Annexure No.1** to this writ petition.
11. That it is significant to submit here that the petitioner having Post Graduate Degree in Law is thoroughly entitled to get the benefit of the Government order dated 13/05/2009. A copy of the certificate of the petitioner regarding Post Graduation in Law is being annexed herewith and marked as **Annexure No.2** to this writ petition.



12. That in pursuance of the decision of the State Government, the petitioner was also given the benefit of the 3 advance increments with effect from 16/06/2006 upto 2009 the date when the petitioner was promoted to the post of Additional Civil Judge, Senior Division.

13. That the petitioner after being promoted on the post of Additional Civil Judge, Senior Division did not get the 3 advance increments as per the intention and direction of the Shetty Commission coupled with the judgement and order passed by the Hon'ble Apex Court in the case of All India Judges Association having left with no other option, the petitioner made a request to the Learned District Judge, Mathura where the petitioner was posted and the Learned District Judge, Mathura has sent a letter on 27/11/2013 to the Additional Director, Treasury, Camp Office, Directorate of Treasury, U.P., Allahabad for grant of salary slip regarding 3 advance increments after being promoted in Class I category. The copy of the letter dated 27/11/2013 is being annexed herewith and marked as **Annexure No.3** to this writ petition.

14. That in response to the letter dated 27/11/2013, the respondent no.3 has sent a communication on 09/12/2013 to the petitioner that there is no occasion to recalculate and issue again the salary slip to the petitioner and the salary which is being paid to the petitioner is perfectly right and without assigning any reason deviating from the recommendation of Shetty Commission as upheld in All India Judges Association case. A copy of the communication made by the respondent no.3 to the petitioner dated 09/12/2013 is being annexed herewith and marked as **Annexure No.4** to this writ petition.



15. That on 21/01/2014, the petitioner represented to the respondent no.3 with entire narration of facts regarding the payment of advance increments and has also specifically submitted that the Shetty Commission has made recommendation on the basis of the decision of Delhi Administration which has been approved by the Hon'ble Apex Court in case of All India Judges Association, hence there is no occasion to deviate or deny the payment of advance increments to the petitioner. It is relevant to mention here that the petitioner after being promoted on the post of Additional Civil Judge, Senior Division was also entitled to get the 3 additional increments to the promotional pay scale but the same was not paid to the petitioner and the petitioner made a request to his higher officer i.e. District Judge, Mathura who in turn had sent a letter on 27/11/2013 to the Additional Director, Treasury, U.P., Allahabad but the Additional Director, Treasury did not take any action upon the letter sent by the Hon'ble District Judge, Mathura. However, the petitioner having left with no other option except to made representation before the Additional Director, Treasury vide letter dated 21/01/2014. The copy of the letter dated 21/01/2014 is being annexed herewith and marked as **Annexure No.5** to this writ petition.

16. That instead of taking any positive action, the respondent no.3 has referred the matter to the State Government vide letter dated 11/02/2014 seeking direction for payment of advance increments to the cadre of the petitioner. However till date State Government has not taken any decision on letter dated 11.02.2014 regarding payment of advance increments to the promotional level of judicial officers of the State Government as it is paid under Delhi Administration in view of Order dated 24.06.2002 .A copy of the letter dated 11/02/2014 is being annexed herewith and marked as **Annexure No.6** to this writ petition.



17. That, it is significant to submit here that there is no ambiguity that the petitioner is not entitled for advance increments to promotion level or after being included in Class I category. The benefit of advance increment is available through entire service tenure as it is being paid in the Delhi Administration which became the instance / reasons for the Shetty Commission to make recommendation and which has been duly affirmed by the Hon'ble Apex Court in the case of All India Judges Association. The petitioner is bringing on record the Order dated 24.06. 2002 which entitles the Judicial Officers of the Delhi Administration for grant of advance increments throughout the employment/entire career. Copy of Order dated 24/06 /2002 is being annexed herewith and marked as **Annexure No.7** to this writ petition.
18. That as the State Government is sitting tight over the matter in question ,the petitioner thereafter represented to the State Government vide representation dated 11/07/2016. The copy of the representation made by the petitioner to the state Government dated 11/07/2016 is being annexed herewith and marked as **Annexure No.8** to this writ petition.
19. That the State Government has sent a letter dated 23/08/2016 informing the petitioner to represent his cause through the Registrar General, Hon'ble High Court at Allahabad. The copy of the letter dated 23/08/2016 is being annexed herewith and marked as **Annexure No.9** to this writ petition.
20. That the petitioner in compliance of the direction of the State Government dated 23/08/2016 issued by the State Government, has represented his grievance through proper channel i.e. through learned District Judge, Varanasi to the



Request-95

(12)

Registrar General, Hon'ble High Court, Allahabad on 31/08/2016. The copy of the letter dated 31/08/2016 is being annexed herewith and marked as **Annexure No.10** to this writ petition.

21. That the inaction on the part of the opposite parties regarding matter in question is arbitrary, illegal and violative of Article 14 of the Constitution of India.
22. That there being no other alternative, efficacious and speedy remedy available to the petitioner, the petitioner beg to prefer this Writ Petition under Article 226 of the Constitution of India inter-alia on following amongst other grounds:-

Rakesh

GROUNDS

- A. Because**, the petitioner is entitled for grant of three advance increments to promotional level as well in pursuance of the report of the Shetty Commission which has been upheld by the Hon'ble Apex Court in case of All India Judges Association and others Versus Union of India and others reported in (2002)4 SCC ,247.
- B. Because**, in view of the Government order dated 13.05.2009 despite being eligible, the petitioner is not being paid the advance increment to promotional level by wrongly interpreting the Government order and the judgement passed by the Hon'ble Apex Court.
- C. Because**, in Delhi administration, advance increments throughout employment is being paid which is evident from Order dated 24.06.2002.
- D. Because**, the petitioner has represented his cause through proper channel on various occasions i.e. on 11-07-2016 / 31-08-2016.



Vs Kesh

E. Because, the inaction on the part of the opposite parties is arbitrary, illegal and violative of Article 14 of the Constitution of India.

F. Because, the action of the State Government is against the spirit of the judgement rendered by the Hon'ble Apex Court in the case of All India Judges Association.

PRAYER

Wherefore, it is respectfully and humbly prayed that the Hon'ble Court may kindly be pleased to :-

- (a). issue a writ, order or direction in the nature of **Mandamus** commanding the State Government to take decision on letter dated 11.02.2014 and up-on representation dated 31.08.20016 of the petitioner for the payment of advance increments throughout the employment in view of the recommendation of Shetty Commission as upheld in All India Judges Association and Others Versus Union of India and others reported in 2002(4)SCC 247
- (b). issue any other order or direction which this Hon'ble Court may deem just and proper in the facts and circumstances of the case.
- (c). to allow the writ petition of the petitioner with costs.

Santosh Mishra

Vikesh

Place: Lucknow.

Santosh Mishra
Advocate

Dr. Vikesh Ram Tripathi
Advocate

Dated: 9-03-2017

Counsels for the petitioner

Request-95

14

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

W.P. NO. OF 2017 (SIB)
Rakesh Tripathi VERSUS State of UP & others

ANNEXURE NO. 1

संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/912121

प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 13 मई, 2009

विषय:-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूलि कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ० प्र० राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा का चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० शेड्यूलि आयोग की रिपोर्ट बाल्यूम-2/ संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates. //

2- इससंबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 में स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ० प्र० राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की शी. शा. शा. शा. महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ०शा०स०-वे०शा०-2-517/दस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,



(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

Rakesh



संख्या-1363(1)/दो-4-2009-45(12)/91टीसी, तृतीय दिनांक


प्रतिलिपि उपरिलिखित शासनदेश के संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनाय
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ० प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक वित्तीयप्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 7- सूचना निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ।
- 8- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ० प्र०।
- 9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- वित्त (सांसाध्य) अनुभाग-1,2,3, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
- 11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 12- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन
कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 13- इलाहाबाद अनुभाग/इलाहाबाद चेक (वेतन पत्री) प्रकोष्ठ, उ० प्र० सचिवालय।
- 14- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आडिटर प्रथम
द्वितीय, उ० प्र० इलाहाबाद।
- 15- समस्त जनपद न्यायाधीश/फिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 16- श्री श्रीश कुमार मिश्रा, एडवोकेट आन रिकार्ड, 236 न्यू लायर्स चेंबर, माल
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 17- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, मा० उच्चतम न्यायालय (विधि कोष्ठक)
21 राउज एवेन्यू, उदू घर भाग, नई दिल्ली।
- 18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार सिंह राठी)
विशेष सचिव।

Rakesh



प्रेषक,

कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग -4 लखनऊ: दिनांक 13 मई, 2009

विषय:- प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूल कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में 30 प्र० राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा का चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० शेड्यूल आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2/ संस्तुति संबंधी पृ-8,48 में पेज - 590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 में स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक 30 प्र० राज्य के न्यायिक ... में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की थी ...महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ०शा०स०-वे०आ०-517/दस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुंवर फतेह बहादुर)

प्रमुख सचिव।

It is Certified that the Photo/Type/Handwritten copy of respective original

Rohis



Request 95

(17)

संख्या-1363(1)/दो-4-2009-45(12)91टीसी,

प्रतिलिपि उपलिखित शासनादेश के संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीयप्रबंधक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 7- सूचना निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ।
- 8- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ० प्र०,
- 9- समस्त कौषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- वित्त (सामान्य) अनुभाग -1,2,3, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
- 11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 12- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन कहरी रोड, इलाहाबाद।
- 13- इरलाचेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ० प्र० सचिवालय।
- 14- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आडिट प्रथम कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 15- समस्त जनपद न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 16- श्री श्रीश कुमार मिश्रा, एडवोकेट आन रिकार्ड, 236 न्यू लायर्स चैम्बर, ... उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 17- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, मा० उच्चतम न्यायालय (विधि कोष्ठक)
- 21 राज एवेन्यू, उर्दू घर मार्ग, नई दिल्ली।
- 18- गार्ड फाईल।

It is certified that the Photo/Type/Blank copy is respective original.

Rakesh

153

आज्ञा से

अवधेश कुमार सिंह राठौर
विशेष सचिव

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

Request 95

W.P. NO. OF 2017 (SIB)
Rakesh Tripathi VERSUS State of UP & others

18

ANNEXURE NO. 2

Roll No. 1-14/2001


Roll No. 3374



MASTER OF LAWS, 2004.

This is to certify that Rakesh Tripathi
having been examined in 2004, and found
qualified for the degree of Master of Laws was
admitted to the said degree at the Convocation
held in 2005.

Self Attested
Rakesh
12/03/2005



Kamwadhay Singh
Registrar,
University of Delhi.

Delhi, dated the 5th March, 2005

Omprakash
Vice-Chancellor,
University of Delhi.

Rakesh

19/3

Request. 95

19

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

W.P. NO. OF 2017 (SIB)
Rakesh Tripathi VERSUS State of UP & others

ANNEXURE NO. 3

प्रेषक,
जनपद न्यायाधीश,
मथुरा

सेवा में,
अपर निदेशक,
शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ०प्र०,
नवीन कोषागार भवन कचेहरी रोड,
इलाहाबाद।

दिनांक: नवम्बर 27, 2013


पत्रांक: 1983/ दो

विषय: उ०प्र० न्यायिक सेवा अधिकारियों को विधि स्नातकोत्तर उपाधि के उपलक्ष्य में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रांक 3227 वे०प्र०/न्यायिक/ई०आर०पी०/आर-380 दिनांक 17.10.2013 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि श्री राकेश त्रिपाठी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/रेलवे को उनके कार्य भार ग्रहण करने की तिथि 16.06.2006 से विधि स्नातकोत्तर उपाधि के उपलक्ष्य में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि समूह 'ख' श्रेणी में वेतन निर्धारण करने के पश्चात उनकी सेवा पुरितका आपके शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ०प्र०, नवीन कोषागार भवन कचेहरी रोड, इलाहाबाद को समूह 'क' श्रेणी के न्यायिक अधिकारी श्री राकेश त्रिपाठी की वेतन पर्वी निर्गत कसए जाने हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

District Judge
जनपद न्यायाधीश,
मथुरा

पत्रांक: / तददिनांक

प्रतिलिपि: महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को माननीय उच्च न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जनपद न्यायाधीश,
मथुरा

Rakesh

1983

Request-95

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

20

W.P. NO. OF 2017 (SIB).
Rakesh Tripathi VERSUS State of UP & others
ANNEXURE NO. 4

शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड, इलाहाबाद ।-

पत्र संख्या: 4258 / वे0प0प्र0 / न्यायिक / ई0आर0पी0-~~1983~~ दिनांक: 09/12/13
सेवा में,

~~श्री राकेश त्रिपाठी~~
~~आपका सुनने न्यायिक अधिकारी (इलाहाबाद)~~
~~मथुरा~~

महोदय,

कृपया आप अपने जनपद न्यायाधीश के पत्र संख्या 1983 (3)
दिनांक 27-11-13 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जो आपकी विधि स्नातकोत्तर
उपाधि के निमित्त समूह "ख" की सेवा में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि के साथ वेतन के
निर्धारण के सम्बन्ध में है ।

इस सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके समूह "ख" के
वेतनमान रु0, 27700-44770 के अन्तर्गत तीन अग्रिम वेतन वृद्धि के साथ जिला जज
द्वारा वेतन निर्धारित किए जाने और जिला जज के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्धारण
चार्ट के अनुसार दिनांक 14-12-07 को प्राप्त वेतन रु0 32,280/- के विरुद्ध समूह
"क" की सेवा में दिनांक 14-12-07 को पदोन्नति सम्प्रति अपर सिविल जज
(सीनियर डिवीजन) के वेतनमान रु0 39530-54010 में अगले प्रकम में वेतन
निर्धारण के प्रति सीनियर डिवीजन के वेतनमान के न्यूनतम पर दिनांक 14-12-07 को
रु0 39530-54010 में अगले प्रकम में वेतन निर्धारण के प्रति सीनियर डिवीजन के
वेतनमान के न्यूनतम पर दिनांक 14-12-07 को रु0 39530-ही वेतन आगणित होता
है ।

अतः पूर्व में निर्गत वेतन पर्ची में कोई परिवर्तन नहीं है ।

भवदीय,

अपर निदेशक

पृष्ठांकन संख्या..... / (1) / वे0प0प्र0 / न्यायिक / ई0आर0पी0-~~380~~ तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- जिला जज, मथुरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर निदेशक

Rakesh



Request 95

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

W.P. NO. OF 2017 (SIB)
Rakesh Tripathi VERSUS State of UP & Others

(21)

ANNEXURE NO. 5

राकेश त्रिपाठी,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे),
मथुरा

जेवा में,
अपर निदेशक,
सिविल कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उ०प्र०,
नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

श्रीमान न्याय जजपद श्री श्रीश, मथुरा

विषय : शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांक 13-05-2009 के आलोक में आवेदक के एल. एल. एम. उपाधि धारक होने के आधार पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय आदेश संख्या 14344/IV of 82 (Loose) Admin(a), Dated 09-10-2013 के सम्बन्ध में आपके कार्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या 4258/व०प्र०/न्यायिक/इ०आर०पी० R-380 दिनांकित 09-12-2013 संदर्भ में।

कृपया आप शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13-05-2009 के आलोक में आवेदक के एल. एल. एम. उपाधि धारक होने के आधार पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 14344/IV of 82 (Loose) Admin(a), Dated 09-10-2013 के सम्बन्ध में आपके कार्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या 4258/व०प्र०/न्यायिक/इ०आर०पी० R-380 दिनांकित 09-12-2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से एल. एल. एम. उपाधि धारक होने के आधार पर उपाधि के पद से सिविल जज (सी०डि०) में प्रोन्नति दिनांक 14.12.2009 से सीनियर डिप्टी जज वेतनमान के स्तर पर 39,530/- रुपये की वेतन आगणित होना संभव होगा और सीनियर डिप्टी जज के स्तर पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किये गयी हैं। उक्त संदर्भ में निवेदन है कि -

शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांक 13-05-2009 अर्थात् राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूल कमीशन) द्वारा गई संस्तुतियों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को अंतर्गत में जारी किया गया है। उक्त शासनादेश में उपाधि धारक माननीय उपाधि कमीशन की रिपोर्ट वॉल्यूम 27 संस्तुति संबन्धी पैरा 8.48 में उपाधि धारक गई संस्तुति - "8.48 If selected candidates are having a higher qualification like Post Graduation in Law, etc. (b) (ii) (iii) three advance increments be given as it is in Delhi Administration. It is an acknowledged fact that

Rakesh



... केंद्र सुपाधि धारक उ०प्र० राज्य के न्यायिक सेवा में नियमित अभ्याधीयों को ३ अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई है।

स्पष्ट है कि माननीय शेट्टी आयोग द्वारा यह संस्तुति दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा न्यायिक अधिकारियों को इस बाबत दी जा रही सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये की गई है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और उसी के अन्तर्गत उ०प्र० सरकार द्वारा यह शासनादेश जारी किया गया। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त शासनादेश की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

इस संदर्भ में आपका ध्यान भारत सरकार (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन) के न्याय विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 17-17014/1/98-J03, Dated 21.06.2002 की तत्काल आकषित कराना चाहता हूँ जिसके माध्यम से भारत सरकार (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा इस सम्बन्ध में यह शासनादेश जारी किया गया है कि दिल्ली में कार्यरत विधि में स्नातकोत्तर सुपाधि धारक न्यायिक अधिकारी अपनी पूरी सेवाकाल में ३ अग्रिम वेतन वृद्धि पाने के अधिकारी होंगे; यह ३ अग्रिम वेतन वृद्धि उन्हें उच्च वेतनमान में प्रोन्नत होने पर या वेतनमान के पुनरीक्षण पर उच्च वेतनमान / पुनरीक्षण वेतनमान के स्तर पर भी प्राप्त होगी। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन) के उक्त शासनादेश की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

स्पष्ट है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिल्ली में कार्यरत विधि में स्नातकोत्तर सुपाधि धारक न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक स्तर पर ३ अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा प्रदान की गई है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.2002 को All India Judges Association Vs Union of India, AIR 2002 SC 1752 के आशय में स्वीकार किया गया है, और उसी के अन्तर्गत उ०प्र० सरकार द्वारा तत्काल बन्धित शासनादेश जारी किया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि आवेदक सीनियर डिप्टी जज के पदस्थिति के उपरान्त सीनियर डिप्टी जज के पदस्थिति के स्तर पर भी ३ अग्रिम वेतन वृद्धि दिनांक 14.12.2009 से पाने का अधिकारी है।


अतः आपसे अनुरोध है कि आवेदक को सीनियर डिप्टी जज के स्तर पर प्रोन्नति के दिनांक 14.12.2009 से ३ अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने का निर्धारण करके उच्च वेतन पदों जारी करने का कष्ट करें।

आपका सहित ।

कार्यालय जिला न्यायाधीश, मथुरा
पता 114/1 दिनांक 21.06.2014
अप्रसारित
दिया न्यायाधीश
मथुरा

राके...
अपर मुकदमा...
...

Rakes



Request 95

28

टाईप कॉपी एनेक्सर नं० 5

प्रेषक,

राकेश त्रिपाठी,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रिलवे)
मथुरा।

सेवा में,

अपर निदेशक,
शिविल कार्यालय कोषागार निदेशालय 30 प्र०,
नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

द्वारा - माननीय जनप्रद न्यायाधीश, मथुरा

विषय:- शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)91 टी.सी. दिनांक
10.05.2009 के आलोक में आवेदक के एल. एल. एम. उपाधि धारक होने
के आधार पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के
संबंध में आपके कार्यालय द्वारा जारी पत्र सं० 4258/ वे०प०प०/न्यायिक/ई०आर०पी०
आर०-380 दिनांकित 09.12.2013 के संदर्भ में।
महोदय,

कृपया आप शासनादेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.

दिनांकित 13.05.2009 के आलोक में आवेदन के एल०एल०एम उपाधि धारक होने
के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु, माननीय इलाहाबाद उच्च
न्यायालय के आदेश सं० 14344/4 एफ 82 (loose Admin(a) dated
09.10.2013 के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा जारी सं० 4256/वे० प०प०/
न्यायिक/ई०आर०पी० आर-380 दिनांक 09.12.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का
कष्ट करें। जिसके माध्यम से मेरे एल०एल०एम उपाधि धारक होने के आधार पर

It is desired that the copy of the original
copy of respective original.

Rakesh



Request-95

95

समूह-क के पद अ. सिविल जज (सी0डि0) में प्रोन्नति दिनांक 14.12.2009 से सीनियर डिवीजन वेतनमान क' न्यूनतम पर 39,530/- रुपये ही वेतन आगणित होना कहा गया और सीनियर डिवीजन के स्तर पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान नहीं की है। उक्त संदर्भ में निवेदन है कि-

शासनादेश सं0 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांक 13.5.2009 प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेटी कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जारी किया गया। उक्त शासनादेश में स्पष्ट रूप से माननीय शेटी कमीशन की रिपोर्ट वॉल्यूम-2/संस्तुति संबंधी पैरा 848 में पेज 590 पर गई संस्तुति-848 If selected candidates are having a high qualification like post Graduation in law, we recommend to three advance increments be given as it is allowed to Delhi Administration. It is an acknowledged fact.


स्नातकोत्तर उपाधि धारक उ0प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गयी है।

स्पष्ट है कि माननीय शेटी आयोग द्वारा यह संस्तुति दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा न्यायिक अधिकारियों को इस बावत दी जा रही सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए की गयी है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और उसी के अनुरूप उ0प्र0 सरकार द्वारा यह शासनादेश जारी किया गया। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त शासनादेश की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान भारत सरकार (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन) के न्याय विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-17-17014/1/98-जे0ओ03, दिनांक 21.6.2002 के तहत आकर्षित करना चाहता हूँ जिसके माध्यम से भारत सरकार (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा इस संबंध में यह शासनादेश जारी किया गया है कि दिल्ली में कार्यरत विधि में स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक अधिकारी अपनी पूरी सेवाकाल में

copy of the order in English.

Rakesh



Request-95

25

3 अग्रिम वेतन वृद्धि पाने के अधिकारी होंगे, यह 3 अग्रिम वेतन वृद्धि उन्हें उच्च वेतनमान में प्रोन्नत होने पर यह प्राप्त होगी। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन) के उक्त शासनादेश की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

स्पष्ट है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिल्ली में कार्यरत विधि में स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक स्तर पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसके आलोक में माननीय शेर्टी आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में यह संस्तुति की गयी थी, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 21.3.2002 को All India Judges Association Vs. Union Of India, AIR 2002, SC 1752 के मामले में स्वीकार किया गया है, और उसी के अनुरूप 30प्र0 सरकार द्वारा तद् संबंधित शासनादेश भी जारी किया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि आवेदक सीनियर डिवीजन के प्रोन्नत के उपरान्त सीनियर डिवीजन के वेतनमान के स्तर पर भी 3 अग्रिम वेतन वृद्धि दिनांक 14.12.2009 से पाने का अधिकारी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आवेदक को सीनियर डिवीजन के स्तर पर प्रोन्नति के दिनांक 14.12.2009 से 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करते हुए वेतन निर्धारित कर नई वेतन पर्ची जारी का कष्ट करें।

आदर सहित।

(राकेश त्रिपाठी)

कार्यालय जिला न्यायाधीश, मथुरा

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे)

21.1.2014

Rakesh



Request 95

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

W.P. NO. OF 2017 (SIB)
Rakesh Tripathi VERSUS State of UP & others

ANNEXURE NO. 6

31/01/2014
A
15-2-14

357/II
15-02-14

5210
पत्रांक / वे०प्र० / ई०आर०पी० / विविध-न्यायिक / 2014

प्रेषक,

अपर निदेशक,
शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय, उ०प्र०,
नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड,
इलाहाबाद ।

सेवा में,

विशेष सचिव,
नियुक्ति अनुभाग-4,
उ० प्र० शासन,
लखनऊ ।

दिनांक फरवरी 2014

विषय:-

उ०प्र० राज्य के स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक नियुक्ति अनुभाग-4, उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी०सी० दिनांक 13-05-2009 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ०प्र० राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-14344/iv एफ. 82(loose)/एडमिन(ए) दिनांक 09-10-2013 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिनांक 21-03-2002 अथवा इसके बाद की तिथि से नियुक्त 12 न्यायिक अधिकारियों के पक्ष में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि, मंहगाई भत्ते के साथ स्वीकृति करते हुये आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी थी ।

इस सम्बन्ध में कृपया अवगत कराना है कि चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि नियुक्ति की तिथि से प्रदान किये जाने के सापेक्ष कार्रवाई समूह "ख" की सेवा से सम्बन्धित था, जिसकी वेतन परीक्षा जारी नहीं की जाती है । फलस्वरूप जनपद न्यायालय स्तर से नियुक्ति की तिथि को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़कर वेतन निर्धारण शिविर कार्यालय में प्राप्त होने पर समूह "क" की सेवा में पदोन्नति की तिथि को वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर ही वेतन निर्धारित हो रहा है ।

उपरोक्त के कम में न्यायिक अधिकारी तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की माँग प्रत्येक स्तर पर पदोन्नत वेतनमान में भी माँग कर रहे हैं । किन्तु शिविर कार्यालय के मतानुसार चयनित न्यायिक अधिकारियों को नियुक्ति की तिथि को ही उसी वेतनमान में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़ते हुये वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए ।

अतः प्रकरण सन्दर्भित करते हुये अनुरोध है कि शासन के उक्त आदेश के कम में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु पर स्पष्ट आदेश/निर्देश प्रदान कराने का कष्ट करें कि:-

कमशः 2/पर

Rakesh

63

- (2)
- (1) न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि नियुक्ति की तिथि को प्राप्त वेतन में जोड़ते हुये वेतन निर्धारित किया जायेगा। या,
- (2) न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि नियुक्ति की तिथि को प्राप्त वेतन में जोड़ते हुये वेतन निर्धारित किया जायेगा। तथा,
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नति होने पर पुनः सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के वेतनमान का तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़ते हुये लाभ प्रदान किया जायेगा। तथा
उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति पर पुनः उच्चतर न्यायिक सेवा के वेतनमान में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़ते हुये लाभ प्रदान किया जायेगा।
- (3) वया उच्चतर न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के श्रोत से चयनित अभ्यर्थियों को भी तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०एस० पाण्डेय)
अपर निदेशक।

पू०प्र०संख्या व दिनांक उपर्युक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निबंधक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-14344/iv एफ 82(loose)/एडमिन(ए) दिनांक 09-10-2013 के कम में श्री राकेश त्रिपाठी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) मथुरा के प्रत्यावेदन दिनांक 21-01-2014 एवं श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा के प्रत्यावेदन दिनांक 08-01-2014 की छायाप्रति के साथ इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण पर स्पष्ट आदेश/मार्गदर्शन कराने का कष्ट करें।
- 2- विशेष सचिव, वित्त (वेतन आयोग), उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 3- जनपद न्यायाधीश आगरा को उनके द्वारा अग्रसारित पत्रांक -100/ दिनांक 10-01-2014 के कम में।
- 4- जनपद न्यायाधीश, मथुरा को उनके द्वारा अग्रसारित पत्रांक 114/ दिनांक 21-01-2014 के कम में।
- 5- निदेशक, कोषागार उ०प्र०, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ।

(आर०एस० पाण्डेय)
अपर निदेशक।

अबकीकरी,

माननीय न्यायाधीश, मथुरा
के लक्ष्य प्रस्तुत है।

Smt K. P.

Information Officer
concerned

[Signature]

DISTRICT JUDGE
MATHURA

प्रधान न्यायाधीश

मथुरा

15.2.14

[Signature]

[Signature]

Request-95

28

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH LUCKNOW

W.P. NO. OF 2017 (SIB)
Rakesh Tripathi VERSUS State of UP & others

ANNEXURE NO. 7

MOST IMMEDIATE

No. 17-17014/1/08-108

Government of India
Ministry of Law, Justice & Company Affairs
(Department of Justice)

Jaisalmer House, Mansingh Arc
New Delhi-110005 Dated: 21.6.2002

To,

The Secretary,
Department of Law, Justice & Legislative Affairs,
Govt. of NCT., 5, Shyam Nath Marg,
Delhi-110 054.

Subject: Grant of advance increments on Attaining Higher Qualifications /
Compliance of Hon'ble Supreme Court of India's Judgment in Identical
Cases.

Sir,

1. In pursuance of the Hon'ble Supreme Court order dated 1.2.2002 dismiss SLP No. 1462/2002 filed as Union of India Vs. S.K. Kaushik & Ors filed by the Union India against the High Court of Delhi judgment dated 3.8.2001 in I.A. No. 390/01 & others identical cases wherein the Hon'ble Delhi High Court had directed Union of India grant of three advance increments to the petitioner Sh. S.K. Kaushik Judicial Officer (w.e.f. 1.1.1986 and all other similarly situated Judicial Officers throughout their employment Judicial Officer, and in case the petitioner is placed in a higher or revised pay scale, he get three advance increments in that higher/revised pay scale in Higher Judicial Service and the arrears payable to the petitioner will be duly worked out and paid to him. I directed to convey sanction of the Central Government to the grant of 3 advance increments to the petitioner Sh. S.K. Kaushik, a Judicial Officer (w.e.f. 1.1.1986) and arrears accrued to him and to all other similarly situated Judicial Officers throughout their employment Judicial Officer as per the orders dated 20.2.2001 of the Hon'ble High Court.

2. This issues with the approval of Department of Personnel & Training vide their D.O. No. 3117/JS/02 dated 20.6.2002.

Thanking you.

Self attested
[Signature]
18-06-14

Yours faithfully

(CHARANJIT SINGH)
DY. SECRETARY
TO THE GOVT. OF INDIA

Rakesh

513

NO. 17 17014/1/98 JO

Government of India

Ministry of Law, Justice & Company Affairs

(Department of Justice)

Jaisalmer House Mansingh

New Delhi 11011 Dated 24.6.2002

To,

The Secretary,

Department of Law, Justice & Legislative Affairs,

Govt. of NCT, 5, Sham Nath Marg,

Delhi-11054

Subject: Grant of advance Increments on Attaining Higher Qualifications
Compliance of Hon'ble Supreme court of India Judgment in
Identic Cases.

Sir,

1. In pursuance of the Hon'ble Supreme Court order dated 1.2.2002 dismiss SLP No. 1462/2002 titled as Union of India Vs. Kaushik & Ors. Filled by the Union India against the High Court of Delhi Judgment dated 3.8.2001 in LPA No. 390/01 a others identical cases wherein the Hon'ble Delhi High Court had directed Union of India grant of three advance increments to the petitioner, Sh. S.K Kaushik Judicial Officer 1-1-1986 and all other similarly situated Judicial Officers throughout their employment Judicial Officer, and in case the petitioner is placed in a higher or revised pay scale he get three advance increments in that higher/revised pay scale in Higher Judicial Service and the arrears payable to the petitioner will be duly worked out and paid to him. I directed to convey sanction of the Central Government to the grant of 3 advance increment to the petitioner Sh. S.K Kaushik, a Judicial Officers W.e.f 1.1.1986 and arrears accrued him and to all other family situated Judicial Officers throughout their employment Judicial Officer as per the orders dated 20.2.2001 of the Hon'ble High Court.

2. This issues with the approval of Department of Personnel & Training their ID No. 3117/JS/02 dated 20.6.2002.

Thanking you.

Yours Faithfully

It is to be noted that the Photo/Type/Bench copy of respective original.

(CHARANJIT SINGH)
DY. SECRETARY
TO THE GOVT. OF INDIA

Rakes

15/3

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

W.P. NO. OF 2017 (SIB)
Rakesh Tripathi VERSUS State of UP & others

ANNEXURE NO. (8)

प्रेषक,

राकेश त्रिपाठी
लघुवाद न्यायाधीश,
वाराणसी।

सेवा में,

माननीय प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक),
उत्तरप्रदेश शासन,
लखनऊ।

द्वारा-

माननीय महानिबंधक, महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय:- शासनादेश संख्या-1363/2-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13.05.2009 के अनुक्रम में आवेदक को एलएल.एम. उपाधि धारक होने के आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि निरन्तर प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,


उपरोक्त वर्णित विषय के सम्बन्ध में कृपया अपने पत्र संख्या-324/दो-4-2016-26(4)/2016 दिनांकित 23 अगस्त 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा मुझे निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रकरण को महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में मेरे द्वारा उक्त प्रकरण माननीय महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से आपके पास भेजा जा रहा है।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट कराना है कि उपरोक्त वर्णित शासनादेश जो कि प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेडूटी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में जारी किया गया था, उसके अनुसार मुझ आवेदक को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सेवाग्रहण करने की तिथि अर्थात् दिनांक 16.6.2006 से दिनांक 14.12.2009 तक तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गयी, परंतु दिनांक 14.12.2009 को मेरी प्रोन्नति सिविल जज, सीनियर डिवीजन कैंडर में होने के उपरान्त जब वेतन पट्टी जारी करने हेतु अपर निर्देशक, शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ०प्र० नवीन कोषागार भवन कचेहरी रोड़, इलाहाबाद को मेरे द्वारा पत्र भेजा गया तो उनके द्वारा प्रोन्नति दिनांक 14.12.2009 से सीनियर डिवीजन वेतनमान के न्यूनतम पर 39,503/-रूपये में वेतन आंगणित होना कहा गया और सीनियर डिवीजन के स्तर पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में पुनः मेरे द्वारा विस्तृत पत्र पत्रांक संख्या-114/1 दिनांकित 21.1.2014 जुरिए माननीय जनपद न्यायाधीश, मथुरा अपर निर्देशक शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ०प्र० को भेजा गया तो इस पत्र के अनुक्रम में अपर निर्देशक द्वारा पत्रांक संख्या-5210/वे०प०प्र०/ई०आ०पी०/विधि-न्यायिक/214 दिनांकित 11.2.14 विशेष सचिव नियुक्ति अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को इस आशय का प्रेषित किया गया कि तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर स्पष्ट आदेश/निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें कि

- 1-न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि नियुक्ति की तिथि को प्राप्त वेतन में जोड़ते हुए वेतन निर्धारित किया जायेगा। या,
- 2-न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि नियुक्ति की तिथि को प्राप्त वेतन में जोड़ते हुए वेतन निर्धारित किया जायेगा। तथा,

सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर पदोन्नति होने पर पुनः सिविल जज सीनियर डिवीजन के वेतनमान का तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़ते हुए लाभ प्रदान किया जायेगा। तथा

उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति होने पर पुनः उच्चतर न्यायिक सेवा के वेतनमान में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़ते हुए लाभ प्रदान किया जायेगा।



Request 95

31

3--क्या उच्चतर न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के स्रोत से चयनित अभ्यर्थियों को भी तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त पत्र अपर निदेशक शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ०प्र० द्वारा दिनांक 11.2.2014 को ही प्रेषित किया गया है, परन्तु आवेदक को आज तक सीनियर डिवीजन कैडर में आने के उपरान्त से तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान नहीं की जा रही है, जबकि जो शासनादेश संख्या--1363/2-4-2009-45(12)/91टी.सी.दिनांकित 13.05.2009 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि--

उपरोक्त विषयक मा० शेट्टी आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2 संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification, like post graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that post graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.03.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ०प्र०राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में भी एलएल.एम. उपाधि धारकों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि उसी तरह से प्रदान की जानी है, जिस तरह से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रदान की जा रही है। यहां यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एलएल.एम. उपाधिधारकों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि पूरी सेवाकाल में प्रत्येक स्तर पर अर्थात् जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन एवं उच्चतर न्यायिक सेवा के कैडर में भी प्रदान किया जा रहा है, जैसा कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के पत्रांक संख्या-17-17014/1/98 j03 दिनांकित 24.06.02 से स्पष्ट है, जो कि संलग्न किया जा रहा है। एक कैडर से दूसरे कैडर में प्रोन्नति होने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि को रोके जाने का कोई प्रावधान न तो उ०प्र० शासन के शासनादेश में है और न ही दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के शासनादेश में है।

अतः माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि आवेदक को अपने संपूर्ण सेवाकाल में प्रत्येक स्तर पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में और इस सम्बन्ध में वेतन पच्ची जारी करने के सम्बन्ध में उचित आदेश/निर्देश जारी करने की महती कृपा करें।

सादर।

दिनांक--31.08.2016


भवदीय,
राकेश त्रिपाठी
(राकेश त्रिपाठी)
लघुवाद न्यायाधीश,
वाराणसी।

संलग्नक:

1-शासनादेश सं०-1363/2-4-2009-45(12)/91टी.सी.

दिनांकित 13.05.2009 की छायाप्रति।

2-अपर निदेशक शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ०प्र०



Rakesh


Request-95

32

- के पत्रांक सं०-3222/ब०प०प्र०/न्यायिक/ई०आर०पी०/आर-380 की छायाप्रति।
- 3-अपर निदेशक शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ०प्र०
- के पत्रांक सं०-4258/ब०प०प्र०/न्यायिक/ई०आर०पी०/आर-380 की छायाप्रति।
- 4-मेरे पत्रांक सं०-114/। दिनांकित 21.1.14 की छायाप्रति।
- 5-अपर निदेशक शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ०प्र०
- के पत्रांक सं०-5210/ब०प०प्र०/ई०आर०पी०/विविध-न्यायिक/2014
- दिनांकित 11.2.14 की छायाप्रति।
- 6-विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं०-17-17014/1/98JO3 की छायाप्रति।

Rakam

Rakam



Request-95

33

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

W.P. NO. OF 2017 (S1B)
Rakesh Tripathi VERSUS State of UP & others

ANNEXURE NO. 9

रजिस्टर्ड

संख्या-324/दो-4-2016-26(4)/2016

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री राकेश त्रिपाठी,
लघुवाद न्यायाधीश,
वाराणसी।

लखनऊ: दिनांक 23 अगस्त, 2016

नियुक्ति अनुभाग-4

विषय:- शासनादेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 13-05-2009 के अनुक्रम में एलएल0एम0 उपाधिधारक होने के आधार पर 03 अग्रिम वेतनवृद्धि निरन्तर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 11-07-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।


2- उल्लेखनीय है कि न्यायिक अधिकारियों के प्रशासनिक एवं नियन्त्रक अधिकारी महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हैं, अतः आपका उपरोक्त पत्र दिनांक 11-07-2016 के साथ उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख मूलरूप में वापस करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

Rakesh



Request. 95

34

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD,
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

Rakesh Tripathi W.P. NO. OF 2017 (SIB)
VERSUS State of UP & others

ANNEXURE NO. 10

18/5/16

प्रेषक,

राकेश त्रिपाठी,
लघुवाद न्यायाधीश,
वाराणसी।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:-

माननीय जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी।

विषय:- शासनादेश संख्या-1363/2-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13.05.2009 के अनुक्रम में आवेदक को एलएल.एम. उपाधि धारक होने के आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि निरन्तर प्रदान किए जाने हेतु आवेदक का प्रकरण प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) उ०प्र० शासन को भेजे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सादर निवेदन है कि मेरे द्वारा एलएल.एम उपाधिधारक होने के आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि निरन्तर प्रदान किए जाने हेतु आवेदनपत्र माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय वाराणसी के माध्यम से पत्रांक सं०-1473/प्रथम दिनांकित 11.7.2016 के द्वारा प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) उत्तरप्रदेश शासन को प्रेषित किया गया था, जिस पर विशेष सचिव उत्तरप्रदेश शासन की ओर से उपरोक्त वर्णित विषय के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या-324/दो-4-2016-26(4)/2016 दिनांकित 23 अगस्त 2016 के माध्यम से मुझे निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रकरण को महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में मेरे द्वारा उक्त प्रकरण प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) उत्तरप्रदेश शासन, लखनऊ को भेजे जाने हेतु आपके पास भेजा जा रहा है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरे उपरोक्त वर्णित प्रकरण को अपने माध्यम से प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) उत्तरप्रदेश शासन, लखनऊ को भेजने की महती कृपा करें।

सादर।

दिनांक-31.08.2016

संलग्नक:


1. विशेष सचिव उ०प्र० शासन से प्राप्त पत्र की छायाप्रति।
2. प्रार्थी का मूल आवेदनपत्र मय शासनादेशों के कुल 10वर्क।

भवदीय,

Rakesh Tripathi
(राकेश त्रिपाठी)
लघुवाद न्यायाधीश,
वाराणसी।

Rakesh

1854/I
31/8/16
31/8/16





Request. 95

35

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE
AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH, LUCKNOW

WRIT PETITION NO. (S/B) OF 2017



Rakesh Tripathi

.....Petitioner

Versus

State of U.P. and Others

.....Opposite Parties

AFFIDAVIT

I, **Rakesh Tripathi**, aged about 39 years, son of Shri Ravi Ram Tripathi, resident of A-2, D.M. Compound, Varanasi, Religion - Hindu, Caste - Brahmin, Qualification - B.A., B.L., M.A., Occupation - Service, the deponent, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:


1. That the deponent is the sole petitioner in the abovenoted writ petition and he is fully conversant with the facts deposed to hereunder:

2: That the contents of paras 1 to 2 of this affidavit are true to my personal knowledge, those of paras 3 to 21 are based on information derived from records and those of paras 22 are based on legal advice.

OATH COMMISSIONER

OATH COMMISSIONER

Rakesh



Request-95

86

3. That the Annexure Nos.1 to 10 annexed to the accompanying writ petition have been compared with their originals and are certified to be true copies thereof.

Lucknow.

Dated: 05 March, 2017

Rakesh

Deponent

VERIFICATION

I, the abovenamed deponent, do hereby verify that the contents of paragraphs 1 to 3 of this Affidavit are true to my personal knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed, so help me God.

Signed and verified on this 8th day of March, 2017 at Lucknow.

Lucknow.

Dated: 05 March, 2017

Rakesh

Deponent

IDENTIFICATION

I, Vikesh Ram Tripathi, Advocate, High Court, Lucknow declare that I am satisfied on the basis of the documents produced that the person making this Affidavit and alleging himself to be Rakesh Tripathi is that person.

Vikesh

Dr. VIKECH RAM TRIPATHI
Reg. No. D-1269-2008
Act. No. B/Ves87 Advocate,
High Court, Lucknow.

Solemnly affirmed before me on 5-03-2017 at 11.00 A.M./P.M. by the deponent, who has been identified by Sri V. P. Mishra, Advocate, High Court, Lucknow.

I have satisfied myself by examining the deponent that she fully understand the contents of this affidavit which has been read over and explained to him by me.



OATH COMMISSIONER
ADVOCATE
High Court, Allahabad
Lucknow Bench, Lucknow
No. (20304) Dt. (5/3/17)

In the High Court of Judicature of Allahabad
W.P. No. 4
Rakesh Tripathi ... Vs State & U.P. 20th

W.P. No. 4
of 2017 (S.B.)

(37)

Request-95

IDENTITY CARD
DISTRICT & SESSIONS COURT
VARANASI (U.P.)

Name	Rakesh Tripathi
Designation	Civil Judge
High Court ID No.	6213
D.O.B.	10-04-1978
Pan Card No.	AFDPT9743D

Signature

District & Sessions Judge
Varanasi (U.P.)

Address : A-2, DM Compound
Cantonment, Varanasi

Phone : 9450969031

Blood Group : A+

INSTRUCTIONS

IF SOMEONE FINDS THIS CARD PLEASE REPORT TO
SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER, DISTRICT &
SESSIONS COURT, VARANASI.

THIS CARD SHOULD BE KEPT WITH YOU AT ALL
TIMES AND POLICE MUST PROTECT IT.

Rakesh

It is Certified that the Photo/Type/Bench
Copy of respective original.

6/3

Request-95

By Regd. Post

From,
Sudhir Kumar- III,
Registrar (Judicial)(Budget),
High Court of Judicature at,
Allahabad.

To,
The Principal Secretary,
Appointment Section-4,
Govt. of U.P., Lucknow.

117 No. 15740 /IV-3191/Admin.(A) dated 22-10-2016

Subject: Representation dated 31.08.2016 of Sri Rakesh Tripathi, Judge, Small Causes Courts Varanasi regarding grant of benefits of three advance increments at each stage of promotion.

Sir,

I am directed to send herewith representation dated 31.08.16 of Sri Rakesh Tripathi, Judge, Small Causes Courts, Varanasi on aforementioned subject and request you to kindly obtain necessary orders of the Government in this regard and communicate the same to this Hon'ble Court at the earliest.

Encl: Representation dated 31.08.16(in original)

Yours faithfully,

[Signature]
Registrar (Judicial) (Budget)

118 No. 15741 /IV-3191/Admin.(A) dated 22-10-2016

Copy forwarded for information and necessary action to-

The District Judge, Varanasi with reference to his endorsement no. 1854/I dated 31.08.16 for information and also to communicate the concerned officer .

[Signature]
Registrar (Judicial) (Budget)

A.R.(Admin A1) / D.R.(M)

Order dated 24.09.16 of Ld. Registrar General is placed below. May like to issue?

[Signature]
18-10-16 (ARO)

[Signature]
18/10/16 AR

[Signature]
18/10/16

Registrar (B) CO

may like to approve draft letter?

[Signature]
18/10/16
2016

Request-95

By Regd. Post & FAX.

From,

Rekha Dikshit
Senior Registrar(Judicial) (Budget)
High Court of Judicature at,
Allahabad.

To,

The Joint Secretary,
Appointment Section-4,
Govt. of U.P., Lucknow

20

No. 11456 /IV- F-82 (loose)/Admin.(A)/Allahabad: Dated 27-8-15

Sub: Grant of three advance increments to eligible Judicial Officers on each and every promotion to higher scale.

Sir,

I am directed to say that in pursuance of the Government of Uttar Pradesh orders No.1363/2-4-2009-45(12)/91TC dated 13-05-2009 read with G.O. No. 1705/2-4-2011-45(12)/91T.C. Dated 03-01-2012 read with recently issued G.O. No. 2/2015/355/2-4-2015-45(12)/91 T.C. dated 27-03-2015, three advance increments are being granted to the eligible Judicial Officers who have been selected having LL.M Degree from recognized University with effect from the date of their initial joining in the U.P Nyayik Sewa or Higher Judicial Service, as the case may be, plus applicable D.A. but some of the Judicial Officers, who have already once availed the benefit of three advance increments, are again demanding the same on their future promotional post(i.e promotion to Senior Division and Higher Judicial Service) separately by including the same in their total salary of the concerned Officers. After deliberation, the Hon'ble Court has pleased to order that this matter be referred to the Govt. of U.P for clarification on the issue

In view of above aforesaid order, you are kindly requested to clarify that the benefit of three advance increments once granted to eligible Judicial Officers of U.P Nyayik Sewa/U.P.H.J.S with effect from their initial date of joining, would be allowed separately in addition to regular annual increment to concerned Judicial Officer on each and every promotional stage by adding the same in his/her total salary or the same would be merged with the total salary so calculated for the purpose of fixing next higher stage in promotional post's salary of concerned Judicial Officer and obtain the order in this regard from the Govt. of U.P as early as possible, under intimation to this Court.

Yours faithfully

Rekha
(Rekha Dikshit)

So. Registrar (CB)

May like to issue the instant draft letter?

Lead
17.8.15
D.R.C.M

S.O. Admin (A) / DR (M)
Copy kindly see the approval of Hon'ble the Chief Justice dt 07-08-15 of minutes dt 27-7-15 (attached to be) & may like to issue? &
12-08-15

DR
14/08/15

Request-95

MINUTES OF MEETING OF THE COMMITTEE COMPRISING HON'BLE MR. JUSTICE DILIP GUPTA(CHAIRMAN) AND HON'BLE MR. JUSTICE ABHINAVA UPADHYA CONSTITUTED REGARDING GRANT OF THREE ADVANCE INCREMENTS TO THE OFFICER OF U.P. NYAYIK SEWA & U.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE(DIRECT RECRUITS) HELD ON 27th JULY, 2015 AT JUDGES LIBRARY.

QUORUM:-

1. Hon'ble Mr. Justice Dilip Gupta (Chairman),
2. Hon'ble Mr. Justice Abhinava Upadhyia.

The Committee has met to consider the grant of three advance increments to the Judicial Officers of U.P. Nyayik Sewa and U.P. Higher Judicial Services-(Direct Recruits) who have been selected on or after 21st March, 2002 and have two years Degree of LL.M from a recognized University and other relevant the following point -

S No.	AGENDA	Resolution
(1)	<p>(I). Sri Suresh Kumar Dubey, Additional Civil Judge(J.D.), Basti (file No. 4080)</p> <p>(II). Sushri Kumud Lata Tripathi, Additional Civil Judge(J.D.), Azamgarh (file No. 4111).</p> <p>(III). Sri Saurabh Srivastava, Additional Civil Judge(J.D.), Ambedkar Nagar at Akbarpur. (file No. 4078).</p> <p>(IV). Sri Surendra Pratap Yadav, Civil Judge(J.D.), Sultanpur. (file No. 3690).</p> <p>(V). Sri Arif Ahmad Ansari, Additional Civil Judge(J.D.), Azamgarh. (file No. 3169).</p>	<p>The Committee has examined the records of all the five Judicial officers and finds that all Judicial Officers are eligible for grant of three advance increments. The Committee, therefore, resolves to recommend the names of five Judicial Officers, for grant of three advance increments w.e.f. the initial joining in U.P. Nyayik Sewa/U.P. Higher Judicial Service(direct recruits) plus admissible D.A. thereon subject to verification of their LL.M. Degrees from the concerned Universities.</p>
(2)	<p>(I) To deliberate and acceding the G.O. No. 2/2015/355/II-4-2015-45(12)/91 T.C. dt. 27- 03-2015 issued by the Govt. of Uttar Pradesh granting the benefit of three advance increments to those officers of U.P. Nyayik Sewa & U.P. Higher Judicial Service(Direct recruits) who have been selected before cut off date 21-03-2002 having two years Degree of LL.M from a recognized University.</p> <p>(II). To deliberate on the date from which benefit of three advance increments in pursuance the G.O. dt. 27-03-2015, may be implemented either 21-03-2002- the date on which recommendation of the Setty Commission was accepted by the Govt of U.P. Or any other date of implementation which is deemed fit and proper.</p>	<p>Resolved that the Government Order dated 27 March, 2015 be placed before Hon'ble the Chief Justice, for His Lordship's kind perusal and orders. If it is accepted, letters may, thereafter, be sent to all District Judges of the Subordinate Court, U.P. to submit a list of those Judicial Officers of U.P. Nyayik Sewa & U.P.H.J.S(Direct Recruits) who have been selected on or before 21 March, 2002 having LL.M Degree from recognized University and mentioned the same in their application form submitted to U.P.P.S.C or the High Court, as the case may be.</p> <p>Resolved that all the eligible officers would be entitled to get three advance increments w.e.f 21st March, 2002 when the relevant recommendations of the Shetty Commission were accepted by the Govt. of Uttar Pradesh.</p>
(3)	<p>To consider the list of 19 (Nineteen) Judicial Officers of U.P. Nyayik Sewa and U.P.H.J.S (Direct Recruits) who have been selected before cut off date 21-03-2002 having two years degree of LL.M. from a recognized University and mentioned the same in his/her application form submitted at the time of direct recruitment and are eligible for grant of three advance increments ?</p>	<p>Deferred.</p>
(4)	<p>To consider the following issues raised by means of application dt. 23-04-15 submitted by Sri Sanjay Shankar Pandey, Additional</p>	

Request-95

District & Session Judge, Bhadohi at Gyanpur presently posted as Joint Registrar(Judicial)(Accounts), Lucknow Bench, High Court-

- (a). That those Judicial Officers who mentioned the details of pursuance of LL.M qualification in his/her application form submitted at the time of direct recruitment to U.P.P.S.C or High Court, as the case may be, and obtained the LL.M Degree from recognized University before joining the Judicial Service of U.P. Nyayik Sewa or U.P.H.J.S and the same has been added after completing the due formalities in the service record of concerned Judicial Officer, would be eligible for grant of three advance increments or not ?
- (b). That those Judicial Officers who did not mention the details of qualification of LL.M in his/her application form submitted at the time of direct recruitment to the U.P.P.S.C or High Court, as the case may be, but LL.M Degree has been obtained before joining the Judicial Service of U.P. Nyayik Sewa or U.P. H.J.S and the same has been included after completing due formalities in the service record of concerned officer, would be eligible for grant of three advance increments or not ?
- (c). That those Judicial Officers who mentioned the details of pursuance of LL.M qualification in his/her application form submitted at the time of direct recruitment to U.P.P.S.C or High Court, as the case may be, but obtained the Degree of LL.M after joining the Judicial service of U.P. Nyayik Sewa or U.P. H.J.S and the same has been included in the service record of concerned Judicial officer, would be eligible for grant of three advance increments or not?
- (d). That those Judicial Officers who have been selected without having the LL.M Degree but later on obtained the same from recognized University either through regular or correspondence mode with prior permission of this Hon'ble Court and the same has been included after completing due formalities in the service record of concerned officer as has been done by Sri Sanjay Shanker Pandey, Additional District & Session Judge, Bhadohi at Gyanpur presently posted as Joint Registrar(Judicial)(Accounts), Lucknow Bench, Lucknow, would be eligible for grant of three advance increments or not ?
- (e). That those Judicial Officers who have already been granted three advance increments w.e.f. initial date of joining in judicial service, by this Hon'ble Court, would be again eligible for providing the benefit of three advance increments on future promotional post i.e. promotion to higher scale [Civil Judge, (Senior Division)]/ Higher Judicial Service or not ?

The Committee has deliberated on point No. 4 (a) to (d) and resolves that the financial benefit of three advance increments would only be granted to those Judicial Officers of U.P. Nyayik Sewa & U.P.H.J.S(Direct Recruits) who have been selected having LL.M Degree from a recognized University and have mentioned this fact in their application form submitted at the time of direct recruitment to U.P.P.S.C or the High Court, as the case may be.

Resolved that the matter be referred to the Govt. of U.P. for clarification on the issue.

- (5). Matter relating to Demand Draft be provided to the University for verification of the LL.M Degree which is being made in pursuance of order passed by Hon'ble Committee & approved by Hon'ble the Chief Justice on 21-04-2015 as have been asked by University of Allahabad, Allahabad(D.D. Rs. 500) & University of Delhi, Delhi (D.D. of Rs. 1,000/-) in the cases of Smt. Sandhya Srivastava, Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow and Sri Ravindra Kumar-III, Additional Civil Judge(Senior Division), Saharanpur respectively and the same may be asked by other University also to which letters have been sent for verification?

Resolved that the Registrar General may get a Demand Draft prepared as per the information furnished by Admin A-1 Department in favour of concerned University which was required to verify LL.M Degree. It may, thereafter, be provided to Admin A-1 Department for sending it to concerned University.

S.O(Admin/A-1)

orders.

The minutes may be placed before the Hon'ble the Chief Justice for His Lordship's perusal and

(Justice Abhinava Upadhyaya)

(Justice Dilip Gupta)

Dr. G. 15
10-8 Sr. Regr (B)

DRM

R.G.

2-8-15

Sr. Regr (B)

Request-957

30/7

प्रेषक,

राकेश त्रिपाठी,
लघुवाद न्यायाधीश,
वाराणसी।

16
page

सेवा

माननीय महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:- माननीय जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी।

8/11
B
2-4-16

विषय:- शासनादेश संख्या-1363/2-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13.05.2009 के अनुक्रम में आवेदक को एलएल.एम. उपाधि धारक होने के आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि निरन्तर प्रदान किए जाने हेतु आवेदक का प्रकरण प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) उ०प्र० शासन को भेजे जाने के संबंध में।

16 महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सादर निवेदन है कि मेरे द्वारा एलएल.एम उपाधिधारक होने के आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि निरन्तर प्रदान किए जाने हेतु आवेदनपत्र माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय वाराणसी के माध्यम से पत्रांक सं०-1473/प्रथम दिनांकित 11.7.2016 के द्वारा प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) उत्तरप्रदेश शासन को प्रेषित किया गया था, जिस पर विशेष सचिव उत्तरप्रदेश शासन की ओर से उपरोक्त वर्णित विषय के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या-324/दो-4-2016-26(4)/2016 दिनांकित 23 अगस्त 2016 के माध्यम से मुझे निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रकरण को महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में मेरे द्वारा उक्त प्रकरण प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) उत्तरप्रदेश शासन, लखनऊ को भेजे जाने हेतु आपके पास भेजा जा रहा है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरे उपरोक्त वर्णित प्रकरण को अपने माध्यम से प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक) उत्तरप्रदेश शासन, लखनऊ को भेजने की महती कृपा करें।

सादर।

दिनांक-31.08.2016

संलग्नक:

1. विशेष सचिव उ०प्र० शासन से प्राप्त पत्र की छायाप्रति।
 2. प्रार्थी का मूल आवेदनपत्र
- समस्त शासनादेशों के कुल 10वर्क।

भवदीय,

Rakesh
Tripathi

(राकेश त्रिपाठी)
लघुवाद न्यायाधीश,
वाराणसी।

Office of the District Judge Varanasi
No. 1854/I
Forwarded.
31-8-16
31/8
31/8/16

RS (Admin)
(AI)

Request-95

रजिस्टर्ड

संख्या--324/दो-4-2016-26(4)/2016

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री राकेश त्रिपाठी,
लघुवाद न्यायाधीश,
वाराणसी।

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 2 अगस्त, 2016

विषय:- शासनादेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91टी0सी0, दिनांक 13-05-2009 के अनुक्रम में एलएल0एम0 उपाधिधारक होने के आधार पर 03 अग्रिम वेतनवृद्धि निरन्तर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 11-07-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि न्यायिक अधिकारियों के प्रशासनिक एवं नियन्त्रक अधिकारी महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हैं, अतः आपका उपरोक्त पत्र दिनांक 11-07-2016 के साथ उपलब्ध कराये गये समस्त अभिलेख मूलरूप में वापस करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

प्रेषक,

राकेश त्रिपाठी
लघुवाद न्यायाधीश,
वाराणसी।

Request-95

सेवा में,

माननीय प्रमुख सचिव (नियुक्ति एवं कार्मिक),
उत्तरप्रदेश शासन,
लखनऊ।

द्वारा—

माननीय महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय:— शासनादेश संख्या-1363/2-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13.05.2009 के अनुक्रम में आवेदक को एलएल.एम. उपाधि धारक होने के आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि निरन्तर प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त वर्णित विषय के सम्बन्ध में कृपया अपने पत्र संख्या-324/दो-4-2016-26(4)/2016 दिनांकित 23 अगस्त 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से आपके द्वारा मुझे निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रकरण को महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में मेरे द्वारा उक्त प्रकरण माननीय महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से आपके पास भेजा जा रहा है।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट कराना है कि उपरोक्त वर्णित शासनादेश जो कि प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के कम में जारी किया गया था, उसके अनुसार मुझ आवेदक को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सेवाग्रहण करने की तिथि अर्थात् दिनांक 16.6.2006 से दिनांक 14.12.2009 तक तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गयी, परंतु दिनांक 14.12.2009 को मेरी प्रोन्नति सिविल जज, सीनियर डिवीजन कैंडर में होने के उपरान्त जब वेतन पर्ची जारी करने हेतु अपर निदेशक, शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ0प्र0 नवीन कोषागार भवन कचेहरी रोड़, इलाहाबाद को मेरे द्वारा पत्र भेजा गया तो उनके द्वारा प्रोन्नति दिनांक 14.12.009 से सीनियर डिवीजन वेतनमान के न्यूनतम पर 39,503/-रूपये में वेतन आगणित होना कहा गया और सीनियर डिवीजन के स्तर पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में पुनः मेरे द्वारा विस्तृत पत्र पत्रांक संख्या-114/1 दिनांकित 21.1.2014 जरिए माननीय जनपद न्यायाधीश, मथुरा अपर निदेशक शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ0प्र0 को भेजा गया तो इस पत्र के अनुक्रम में अपर निदेशक द्वारा पत्रांक संख्या-5210/वे0प0प्र0/ई0आर0पी0/विविध-न्यायिक/214 दिनांकित 11.2.14 विशेष सचिव नियुक्ति अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को इस आशय का प्रेषित किया गया कि तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर स्पष्ट आदेश/निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें कि

1-न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि नियुक्ति की तिथि को प्राप्त वेतन में जोड़ते हुए वेतन निर्धारित किया जायेगा। या,

2-न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि नियुक्ति की तिथि को प्राप्त वेतन में जोड़ते हुए वेतन निर्धारित किया जायेगा। तथा,

सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर पदोन्नति होने पर पुनः सिविल जज सीनियर डिवीजन के वेतनमान का तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़ते हुए लाभ प्रदान किया जायेगा। तथा

उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति पर पुनः उच्चतर न्यायिक सेवा के वेतनमान में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़ते हुए लाभ प्रदान किया जायेगा।

Rakesh

Request 95

3-क्या उच्चतर न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के स्रोत से चयनित अभ्यर्थियों को भी तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त पत्र अपर निदेशक शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ0प्र0 द्वारा दिनांक 11.2.2014 को ही प्रेषित किया गया है, परन्तु आवेदक को आज तक सीनियर डिवीजन कैडर में आने के उपरान्त से तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान नहीं की जा रही है, जबकि जो शासनादेश संख्या-1363/2-4-2009-45(12)/91टी.सी.दिनांकित 13.05.2009 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि-

"उपर्युक्त विषयक मा0 शेट्टी आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2 संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that post graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.03.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0प्र0राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।"

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में भी एलएल.एम. उपाधि धारकों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि उसी तरह से प्रदान की जानी है, जिस तरह से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रदान की जा रही है। यहां यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एलएल.एम. उपाधिधारकों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि पूरी सेवाकाल में प्रत्येक स्तर पर अर्थात् जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन एवं उच्चतर न्यायिक सेवा के कैडर में भी प्रदान किया जा रहा है, जैसा कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के पत्रांक संख्या-17-17014/1/98 j03 दिनांकित 24.06.02 से स्पष्ट है, जो कि संलग्न किया जा रहा है। एक कैडर से दूसरे कैडर में प्रोन्नति होने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि को रोके जाने का कोई प्रावधान न तो उ0प्र0 शासन के शासनादेश में है और न ही दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के शासनादेश में है।

अतः माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि आवेदक को अपने संपूर्ण सेवाकाल में प्रत्येक स्तर पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में और इस सम्बन्ध में वेतन पर्ची जारी करने के सम्बन्ध में उचित आदेश/निर्देश जारी करने की महती कृपा करें।

सादर।

दिनांक-31.08.2016

भवदीय,
Rakesh
31-8-16
(राकेश त्रिपाठी)
लघुवाद न्यायाधीश,
वाराणसी।

संलग्नक:

1-शासनादेश सं0-1363/2-4-2009-45(12)/91टी.सी.

दिनांकित 13.05.2009 की छायाप्रति।

2-अपर निदेशक शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ0प्र0

- के पत्रांक सं०-3222/व०प०प्र०/न्यायिक/ई०आर०पी०/आर-380 की छायाप्रति।
- 3-अपर निदेशक शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ०प्र०
के पत्रांक सं०-4258/व०प०प्र०/न्यायिक/ई०आर०पी०/आर-380 की छायाप्रति।
- 4-मेरे पत्रांक सं०-114/। दिनांकित 21.1.14 की छायाप्रति।
- 5-अपर निदेशक शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ०प्र०
के पत्रांक सं०-5210/व०प०प्र०/ई०आर०पी०/विविध-न्यायिक/2014
दिनांकित 11.2.14 की छायाप्रति।
- 6-विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं०-17-17014/1/98JO3 की छायाप्रति।

Request-95-

Raksha

Request-95

By Regd. Post

From,
Ramesh Kumar (Malviya),
Deputy Registrar(M),
High Court of Judicature at,
Allahabad.

To,
The District Judge,
Varanasi.

114
5

No. 12938 /IV-3191/Admin.(A-1)

dated 29.08-2016

Sub: Grant of three advance increments to Judicial Officers of UP Nyayik Sewa/
U.P.H.J.S., having Post graduate degree in law, at each stage of promotion.

Sir,

Kindly refer to your endorsement No. 1472/I dt. 11.07.2016, on the above subject by which representation of Sri Rakesh Tripathi, Judge Small Causes Court, Varanasi has been forwarded in which Sri Tripathi has requested to grant of three advance increments on his promotion also.

In this connection, I am directed to inform you that matter regarding grant of three advance increments to those judicial officers who have already been granted the same benefit, on their future promotional post i.e. promotion to higher scale [Civil Judge(sr. Div.)/ Higher Judicial Services] separately or not, has been referred to Govt. of U.P. for specific orders/direction in this regard which is still under consideration before the Government of Uttar Pradesh.

In view of above, I am, therefore, to request you kindly inform Sri Rakesh Tripathi, Judge Small Causes Court, Varanasi accordingly.

Yours Faithfully,

[Signature]
20/8/16

Deputy Registrar(M)

AR. (Admin A) / DR (M)

May kindly see the approval dated 12/8/16 of Ld. Registrar (Judicial) (Budget) & May like to issue?

[Signature]
20/8/16

faile
20/8/16 (AR)

ms
20/8/16
AR

4749

998
17/7/16
13/7/16

Santel
19-7-16
Encl 8 page

1296
13-7-16

प्रेषक,

राकेश त्रिपाठी
लघुवाद न्यायाधीश,
वाराणसी।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा— माननीय जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी।

12800
Register No.
File No. IV/3191...
Serial No.

Request-95

113

28/7/16

20-7-16

25

29-7-16

B

2-8-16

विषय:— शासनादेश संख्या-1363/2-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13.05.2009 के अनुक्रम में आवेदक को एलएल.एम. उपाधि धारक होने के आधार पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि निरन्तर प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट कराना है कि उपरोक्त वर्णित शासनादेश जो कि प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयीं संस्तुतियों के क्रम में जारी किया गया था, उसके अनुसार मुझ आवेदक को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सेवाग्रहण करने की तिथि अर्थात् दिनांक 16.6.2006 से दिनांक 14.12.2009 तक तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गयी, परंतु दिनांक 14.12.2009 को मेरी प्रोन्नति सिविल जज, सीनियर डिवीजन कैडर में होने के उपरान्त जब वेतन पर्ची जारी करने हेतु अपर निदेशक, शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ0प्र0 नवीन कोषागार भवन कचेहरी रोड़, इलाहाबाद को मेरे द्वारा पत्र भेजा गया तो उनके द्वारा प्रोन्नति दिनांक 14.12.009 से सीनियर डिवीजन वेतनमान के न्यूनतम पर 39,503/-रूपये में वेतन आगणित होना कहा गया और सीनियर डिवीजन के स्तर पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में पुनः मेरे द्वारा विस्तृत पत्र पत्रांक संख्या-114/1 दिनांकित 21.1.2014 जरिए माननीय जनपद न्यायाधीश, मथुरा अपर निदेशक शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ0प्र0 को भेजा गया तो इस पत्र के अनुक्रम में अपर निदेशक द्वारा पत्रांक संख्या-5210/वे0प0प्र0/ई0आर0पी0/विविध-न्यायिक/214 दिनांकित 11.2.14 विशेष सचिव नियुक्ति अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को इस आशय का प्रेषित किया गया कि तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर स्पष्ट आदेश/निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें कि

- 1-न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि नियुक्ति की तिथि को प्राप्त वेतन में जोड़ते हुए वेतन निर्धारित किया जायेगा। या,
- 2-न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि नियुक्ति की तिथि को प्राप्त वेतन में जोड़ते हुए वेतन निर्धारित किया जायेगा। तथा,

सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर पदोन्नति होने पर पुनः सिविल जज सीनियर डिवीजन के वेतनमान का तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़ते हुए लाभ प्रदान किया जायेगा। तथा

उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति पर पुनः उच्चतर न्यायिक सेवा के वेतनमान में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़ते हुए लाभ प्रदान किया जायेगा।

3-क्या उच्चतर न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के स्रोत से चयनित अभ्यर्थियों को भी तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त पत्र अपर निदेशक शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ0प्र0 द्वारा दिनांक 11.2.2014 को ही प्रेषित किया गया है, परन्तु आवेदक को आज तक सीनियर डिवीजन कैडर में आने के उपरान्त से तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान नहीं की जा रही है, जबकि जो शासनादेश

Rakesh

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

संख्या-1363/2-4-2009-45(12)/91टी.सी.दिनांकित 13.05.2009 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि-

"उपर्युक्त विषयक मा0 शेटटी आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2 संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that post graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.03.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0प्र0राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।"


उपरोक्त से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में भी एलएल.एम. उपाधि धारकों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि उसी तरह से प्रदान की जानी है, जिस तरह से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रदान की जा रही है। यहां यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एलएल.एम. उपाधिधारकों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि पूरी सेवाकाल में प्रत्येक स्तर पर अर्थात् जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन एवं उच्चतर न्यायिक सेवा के कैडर में भी प्रदान किया जा रहा है, जैसा कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के पत्रांक संख्या-17-17014/1/98 JO3 दिनांकित 24.06.02 से स्पष्ट है, जो कि संलग्न किया जा रहा है। एक कैडर से दूसरे कैडर में प्रोन्नति होने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि को रोके जाने का कोई प्रावधान न तो उ0प्र0 शासन के शासनादेश में है और न ही दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के शासनादेश में है।


अतः माननीय महोदय से सादर निवेदन है कि आवेदक को अपने संपूर्ण सेवाकाल में प्रत्येक स्तर पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में और इस सम्बन्ध में वेतन पर्यी जारी करने के सम्बन्ध में संबंधित को उचित आदेश/निर्देश जारी करने की महती कृपा करें।

सादर।

दिनांक-11.07.2016

Office of the District Judge Varanasi
No..1422/1..... Date..11.7.16
Forwarded.


District Judge
Varanasi

भवदीय,

(राकेश त्रिपाठी)
लघुवाद न्यायाधीश,
वाराणसी।

संलग्नक:

- 1-शासनादेश सं0-1363/2-4-2009-45(12)/91टी.सी. दिनांकित 13.05.2009 की छायाप्रति।
- 2-अपर निदेशक शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ0प्र0 के पत्रांक सं0-3222/व0प0प्र0/न्यायिक/ई0आर0पी0/आर-380 की छायाप्रति।
- 3-अपर निदेशक शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ0प्र0 के पत्रांक सं0-4258/व0प0प्र0/न्यायिक/ई0आर0पी0/आर-380 की छायाप्रति।
- 4-मेरे पत्रांक सं0-114/। दिनांकित 21.1.14 की छायाप्रति।
- 5-अपर निदेशक शिविल कार्यालय कोषागार निदेशालय उ0प्र0 के पत्रांक सं0-5210/वे0प0प्र0/ई0आर0पी0/विविध-न्यायिक/2014 दिनांकित 11.2.14 की छायाप्रति।
- 6-विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0-17-17014/1/98JO3 की छायाप्रति।

Request-95

संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/912/P1

प्रेषक,
कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2009

विषय:-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूलि कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक मा0 शेड्यूलि आयोग की रिपोर्ट वॉल्यूम-2/ संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इससंबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 में स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0 प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की शर्त पर मा0 महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-वे0आ0-2-517/दस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Qee

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

Request 95

-2-

संख्या-1363(1)/दो-4-2009-45(12)/91टीसी, तृतीय क्रमांक

प्रतिलिपि उपलब्धित शासनादेश के संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनाथ

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ० प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक वित्तीयप्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 7- सूचना निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ।
- 8- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ० प्र०।
- 9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1,2,3, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 11- संयुक्त निदेशक, शिबिर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 12- इरलाचैक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ० प्र० सचिवालय।
- 13- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आर्किव प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र० इलाहाबाद।
- 14- समस्त जनपद न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 15- श्री श्रीश कुमार मिश्रा, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, 236 न्यू लायर्स चैम्बर, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 16- विशेष सचिव एवं अपर सिविल परामर्शी, भा० उच्चतम न्यायालय (विधि कोष्ठक), 21 राज एवेन्यू, उर्दू घर मार्ग, नई दिल्ली।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अवधेश कुमार सिंह राठी)
विशेष सचिव।

Request-95

शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड, इलाहाबाद ।

पत्र संख्या: 4258/वे0प0प्र0/न्यायिक/ई0आर0पी0-~~1-300~~ दिनांक: 09/12/13

सेवा में,

~~श्री राकेश शिवाजी~~
~~महा सुपर न्यायिक अधिकारी (डिवीजन)~~
~~मथुरा~~

महोदय,

कृपया आप अपने जनपद न्यायाधीश के पत्र संख्या ~~1403 (च)~~ दिनांक ~~27-11-13~~ का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जो आपकी विधि स्नातकोत्तर उपाधि के निमित्त समूह "ख" की सेवा में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि के साथ वेतन के निर्धारण के सम्बन्ध में है ।

इस सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके समूह "ख" के वेतनमान रू0 27700-44770 के अन्तर्गत तीन अग्रिम वेतन वृद्धि के साथ जिला जज द्वारा वेतन निर्धारित किए जाने और जिला जज के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्धारण चार्ट के अनुसार दिनांक ~~14-12-13~~ को प्राप्त वेतन रू0 ~~322,000~~ के विरुद्ध समूह "क" की सेवा में दिनांक ~~14-12-13~~ को पदोन्नति सम्प्रति अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के वेतनमान रू0 39530-54010 में अगले प्रकम में वेतन निर्धारण के प्रति सीनियर डिवीजन के वेतनमान के न्यूनतम पर दिनांक ~~14-12-13~~ को रू0 ~~530~~-54010 में अगले प्रकम में वेतन निर्धारण के प्रति सीनियर डिवीजन के वेतनमान के न्यूनतम पर दिनांक ~~14-12-13~~ को रू0 39530-ही वेतन आगणित होता है ।

अतः पूर्व में निर्गत वेतन पर्ची में कोई परिवर्तन नहीं है ।

भवदीय,

~~अपर निदेशक~~

पृष्ठांकन संख्या...../ (1) / वे0प0प्र0 / न्यायिक / ई0आर0पी0-~~1-300~~ तददिनांक ।

प्रतिलिपि:—जिला जज, ~~मथुरा~~ को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर निदेशक

Request-95

पत्रांक: 322/ वे0प0प्र0/न्यायिक/ई0आर0पी0/R-380

प्रेषक, 22-10-2013

अपर निदेशक,
शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय उ0प्र0,
नवीन कोषागार भवन कचेहरी रोड, इलाहाबाद ।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,

सपुर

दिनांक: 17 अक्टूबर, 2013

विशय:-

उ0प्र0 न्यायिक सेवा अधिकारियों को विधि स्नात्कोत्तर उपाधि के उपलक्ष्य में
तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 14344/IV
f 82(loose) Admin (A), Dated 09.10.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो इस
कार्यालय को सम्बोधित तथा सम्बन्धित अधिकारियों के साथ-साथ जनपद न्यायाधीश को
पृष्ठांकित है । इस पत्र के द्वारा 12 समूह 'क' श्रेणी के न्यायिक अधिकारियों जिनकी
चयन उपरान्त कार्यभार ग्रहण तिथि दिनांक 21.03.2002 या उसके पश्चात है को कार्यभार
ग्रहण करने की तिथि से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी है । आपके
जनपद में कार्यरत न्यायिक अधिकारी श्री/श्रीमती/कु0 ~~सुरेश~~ ~~त्रिपाठी~~, A. B. N. M. (Ret.) को
दिनांक 16-06-2006 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
देयता की तिथि को अधिकारी समूह 'ख' श्रेणी में कार्यरत ~~श्री~~ ~~जिनका~~ जिनका वेतन
निर्धारण जनपद न्यायाधीश के स्तर से ही की जानी है (शिविर कार्यालय द्वारा समूह
'क' श्रेणी के न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारियों की वेतन पर्ची जारी की जाती
है) । सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार तीन अग्रिम वेतन वृद्धि सहित वेतन
निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ शिविर कार्यालय
को वापस करने का कष्ट करें जिससे शिविर कार्यालय द्वारा समूह 'क' श्रेणी की वेतन
पर्ची जारी की जा सके ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(आर0एस0 पाण्डेय)
अपर निदेशक ।

पू0प0 संख्या व दिनांक उपर्युक्त ।

प्रतिलिपि:- महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को माननीय उच्च न्यायालय के
आदेश संख्या 14344/IV f 82(loose) Admin (A), Dated 09.10.2013 के कम में उपरोक्तानुसार
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर0एस0 पाण्डेय)
अपर निदेशक ।

0/9 Sec H's

DISTRICT JUDGE

22.10.2013

प्र. अंक

राज्य न्यायाधीश,
अपर मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट (रेलवे),
मथुरा।

सेवा में,

अपर निदेशक,
शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उ०प्र०,
नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश, मथुरा।

विषय: शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13-05-2009 के आलोक में आवेदक के एल. एल. एम. उपाधि धारक होने के आधार पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 14344/IV of 82 (Loose) Admin(a), Dated 09-10-2013 के सम्बन्ध में आपके कार्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या 4258/व०प०१०/न्यायिक/इ०आर०पी० R-380 दिनांकित 09-12-2013 के संदर्भ में।

महोदय

कृपया आप शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13-05-2009 के आलोक में आवेदक के एल. एल. एम. उपाधि धारक होने के आधार पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 14344/IV of 82 (Loose) Admin(a), Dated 09-10-2013 के सम्बन्ध में आपके कार्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या 4258/व०प०१०/न्यायिक/इ०आर०पी० R-380 दिनांकित 09-12-2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मैंने एल. एल. एम. उपाधि धारक होने के आधार पर समूह-क के पद अपर सिविल जज (सी०डि०) में प्रोन्नति दिनांक 14.12.2009 से सीनियर डिवीजन के वेतनमान की न्यूनतम पर 39,530/- रुपये की वेतन आगणित होना कक्षा गया है और सीनियर डिवीजन के स्तर पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान नहीं की गयी हैं। उक्त संदर्भ में विवेदन है कि -

शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13-05-2009 प्रधान राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूल कमीशन) द्वारा की गई संस्तुतियों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसंधान में जारी किया गया है। उक्त शासनादेश में स्पष्ट रूप से माननीय शेड्यूल कमीशन की रिपोर्ट वॉल्यूम-2/संस्तुति संबन्धी पैरा 8.48 में पेज 590 पर की गई संस्तुति - "8.48 If selected candidates are having a higher qualification like Post-Graduation in Law, we recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates." का उल्लेख करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2009 के अनुसंधान में

Request 95

स्नातकोत्तर उपाधि धारक उ०प्र० राज्य के न्यायिक सेवा में नियमित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई है।

स्पष्ट है कि माननीय शोर्टी आयोग द्वारा यह संस्तुति दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा न्यायिक अधिकारियों को इस बाबत दी जा रही सुविधा को वृष्टिगत रखते हुये की गई है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और उसी के अनुक्रम उ०प्र० सरकार द्वारा यह शासनादेश जारी किया गया। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त शासनादेश की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान भारत सरकार (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन) के न्याय विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 17-17014/1/98-303, Dated 24.06.2002 को तत्काल आकर्षित कराना चाहता हूँ जिसके माध्यम से भारत सरकार (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा इस सम्बन्ध में यह शासनादेश जारी किया गया है कि दिल्ली में कार्यरत विधि में स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक अधिकारी अपनी पूरी सेवाकाल में 3 अग्रिम वेतन वृद्धि पाने के अधिकारी होंगे, यह 3 अग्रिम वेतन वृद्धि उन्हें उच्च वेतनमान में प्रोन्नत होने पर या वेतनमान के पुनरीक्षण पर उच्च वेतनमान/पुनरीक्षण वेतनमान के स्तर पर भी प्राप्त होगी। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन) के उक्त शासनादेश की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

स्पष्ट है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिल्ली में कार्यरत विधि में स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक स्तर पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके आलोक में माननीय शोर्टी आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में यह संस्तुति की गई थी, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 21.03.2002 को All India Judges Association Vs Union of India, AIR 2002 SC 1752 के मामले में स्वीकार किया गया है, और उसी के अनुक्रम उ० प्र० सरकार द्वारा तदसम्बन्धित शासनादेश भी जारी किया गया है। ऐसा ही स्पष्ट है कि आवेदक सीनियर डिप्टीजन में प्रोन्नति के उपरान्त सीनियर डिप्टीजन के वेतनमान के स्तर पर भी 3 अग्रिम वेतन वृद्धि दिनांक 14.12.2009 से पाने का अधिकारी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आवेदक को सीनियर डिप्टीजन के स्तर पर प्रोन्नति के दिनांक 14.12.2009 से 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करते हुये वेतन निर्धारण कर हुई वेतन पची जारी करने का कष्ट करें।

आपका सहित।

यालय जिला न्यायाधीश, मथुरा

114/1 दिनांक 21.01.2014

अप्रसारित

जिला न्यायाधीश 21.01.2014

मथुरा

भयनिष्ठ

Rakesh
21/01/14

(राकेश त्रिपाठी)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सुलभ)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सुलभ)

Request-95

31 जू 14
A
15-2-14

357/I
15-02-14

5210

पत्रांक / वे०प०प्र० / ई०आर०पी० / विविध-न्यायिक / 2014

प्रेषक,

अपर निदेशक,
शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय, उ०प्र०,
नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड,
इलाहाबाद ।

सेवा में,

विशेष सचिव,
नियुक्ति अनुभाग-4,
उ० प्र० शासन,
लखनऊ ।

विषय:-

दिनांक 11 फरवरी 2014
उ०प्र० राज्य के स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक नियुक्ति अनुभाग-4, उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी०सी० दिनांक 13-05-2009 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ०प्र० राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-14344/iv एफ 82(loose)/एडमिन(ए) दिनांक 09-10-2013 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिनांक 21-03-2002 अथवा इसके बाद की तिथि से नियुक्त 12 न्यायिक अधिकारियों के पक्ष में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि, मंहगाई भत्ते के साथ स्वीकृति करते हुये आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी थी ।

इस सम्बन्ध में कृपया अवगत कराना है कि चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि नियुक्ति की तिथि से प्रदान किये जाने के सापेक्ष कार्रवाई समूह "ख" की सेवा से सम्बन्धित था, जिसकी वेतन पची जारी नहीं की जाती है । फलस्वरूप जनपद न्यायालय स्तर से नियुक्ति की तिथि को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़कर वेतन निर्धारण शिविर कार्यालय में प्राप्त होने पर समूह "क" की सेवा में पदोन्नति की तिथि को वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर ही वेतन निर्धारित हो रहा है ।

उपरोक्त के कम में न्यायिक अधिकारी तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की माँग प्रत्येक स्तर पर पदोन्नत वेतनमान में भी माँग कर रहे हैं। किन्तु शिविर कार्यालय के मतानुसार चयनित न्यायिक अधिकारियों को नियुक्ति की तिथि को ही उसी वेतनमान में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़ते हुये वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए ।

अतः प्रकरण सन्दर्भित करते हुये अनुरोध है कि शासन के उक्त आदेश के कम में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु पर स्पष्ट आदेश/निर्देश प्रदान कराने का कष्ट करें कि:-

कमशः-----2/पर

Request-95

MOST IMMEDIATE

No. 17-17014/1/98-JOB

Government of India
Ministry of Law, Justice & Company Affairs
(Department of Justice)

Jaisalmer House, Mansingh Road,
New Delhi - 110013 Dated: 2/10/2002

To,

The Secretary,
Department of Law, Justice & Legislative Affairs,
Govt. of NCT., 5, Shyam Nath Marg,
Delhi-110 054.

Subject:

Grant of advance increments on Attaining Higher Qualifications in
Compliance of Hon'ble Supreme Court of India's Judgment in Identical
Cases.

Sir,

1. In pursuance of the Hon'ble Supreme Court order dated 1.2.2002 dismissing SLP No. 1462/2002, titled as Union of India Vs. S.K. Kaushik & Ors. filed by the Union of India against the High Court of Delhi judgment dated 3.8.2001 in LPA No. 390701 and others identical cases wherein the Hon'ble Delhi High Court had directed Union of India to grant of three advance increments to the petitioner, Sh. S.K. Kaushik Judicial Officer w.e.f. 1.1.1986 and all other similarly situated Judicial Officers throughout their employment as Judicial Officer, and in case the petitioner is placed in a higher or revised pay scale, he will get three advance increments in that higher/revised pay scale in Higher Judicial Service and the arrears payable to the petitioner will be duly worked out and paid to him. I am directed to convey sanction of the Central Government to the grant of 3 advance increments to the petitioner Sh. S.K. Kaushik, a Judicial Officer w.e.f. 1.1.1986 and arrears accrued to him and to all other similarly situated Judicial Officers throughout their employment as Judicial Officer as per the orders dated 20.2.2001 of the Hon'ble High Court.

2. This issues with the approval of Department of Personnel & Training vide their ID No. 3117/JS/02 dated 20.6.2002.

Thanking you.

Yours faithfully,

(CHARANJIT SINGH)
DY. SECRETARY
TO THE GOVT. OF INDIA

Self attested
M. Dep
108-04-14

Request-95

संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/912PH

प्रेषक,
कुंवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2009

विषय:-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूलि कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।


महोदय,
उपर्युक्त विषयक मा0 शेड्यूलि आयोग की रिपोर्ट बाल्यूम-2/ संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-590 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इससंबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 में स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0 प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की श्री महापालक महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-वे0आ0-2-517/दस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

Request 95

-2-

संख्या-1363(1)/दो-4-2009-45(12)/91टीसी, तृतीय क्रमांक
प्रतिलिपि उपरिलिखित शासनादेश के संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनाय

- 1- आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 2- श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- निदेशक, कौषागार निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा नवन, उ० प्र०, लखनऊ।
- 7- निदेशक वित्तीयप्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 8- सूचना निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ।
- 9- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कौषागार एवं पेंशन, उ० प्र०, लखनऊ।
- 10- समस्त कौषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1,2,3, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 12- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कौषागार निदेशालय, नवीन कौषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 13- इरलाचेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ० प्र० सचिवालय।
- 14- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र० इलाहाबाद।
- 15- समस्त जनपद न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 16- श्री श्रीश कुमार मिश्रा, एडवोकेट आन रिकार्ड, 236 न्यू लायस चैम्बर, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 17- विशेष सचिव एवं अपर सिनि परामर्शी, मा० उच्चतम न्यायालय (विधि कोष्ठक), 21 राज एवेन्यू, उर्दू घर मार्ग, नई दिल्ली।
- 18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अवधेश कुमार सिंह राठी)
विशेष सचिव।

Request-95

शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड, इलाहाबाद ।

पत्र संख्या: 4258/वे0प0प्र0/न्यायिक/ई0आर0पी0-~~R-380~~ दिनांक: 09/12/13
सेवा में,

श्री राकेश त्रिपाठी
अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट (डिवीजन)
मथुरा

महोदय,

कृपया आप अपने जनपद न्यायाधीश के पत्र संख्या 1983 (3)
दिनांक 27-11-13 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जो आपकी विधि स्नातकोत्तर
उपाधि के निमित्त समूह "ख" की सेवा में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि के साथ वेतन के
निर्धारण के सम्बन्ध में है ।

इस सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके समूह "ख" के
वेतनमान रू0 27700-44770 के अन्तर्गत तीन अग्रिम वेतन वृद्धि के साथ जिला जज
द्वारा वेतन निर्धारित किए जाने और जिला जज के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त निर्धारण
चार्ट के अनुसार दिनांक 14-12-09 को प्राप्त वेतन रू0 32,220/- के विरुद्ध समूह
"क" की सेवा में दिनांक 14-12-09 को पदोन्नति सम्प्रति अपर सिविल जज
(सीनियर डिवीजन) के वेतनमान रू0 39530-54010 में अगले प्रक्रम में वेतन
निर्धारण के प्रति सीनियर डिवीजन के वेतनमान के न्यूनतम पर दिनांक 14-12-09 को
रू0 39530-54010 में अगले प्रक्रम में वेतन निर्धारण के प्रति सीनियर डिवीजन के
वेतनमान के न्यूनतम पर दिनांक 14-12-09 को रू0 39530-ही वेतन आगणित होता
है ।

अतः पूर्व में निर्गत वेतन पर्ची में कोई परिवर्तन नहीं है ।

भवदीय,

[Signature]
अपर निदेशक

पृष्ठांकन संख्या..... / (1) / वे0प0प्र0 / न्यायिक / ई0आर0पी0-~~R-380~~ तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- जिला जज, *मथुरा* को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर निदेशक

Request-95

राकेश त्रिपाठी,
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे),
मथुरा ।

सेवा में,
अपर निदेशक,
शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उ०प्र०,
नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद ।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश, मथुरा ।

विषय: शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13-05-2009 के आलोक में आवेदक के एल. एल. एम. उपाधि धारक होने के आधार पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 14344/IV f 82 (loose) Admin(a), Dated 09-10-2013 के सम्बन्ध में आपके कार्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या 4258/वे०प०प०/न्यायिक/ई०आर०पी० R-380 दिनांकित 09-12-2013 के संदर्भ में ।

महोदय

कृपया आप शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13-05-2009 के आलोक में आवेदक के एल. एल. एम. उपाधि धारक होने के आधार पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने हेतु माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 14344/IV f 82 (loose) Admin(a), Dated 09-10-2013 के सम्बन्ध में आपके कार्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या 4258/वे०प०प०/न्यायिक/ई०आर०पी० R-380 दिनांकित 09-12-2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मेरे एल. एल. एम. उपाधि धारक होने के आधार पर समूह-क के पद अपर सिविल जज (सी०डि०) में प्रोन्नति दिनांक 14.12.2009 से सीनियर डिवीजन के वेतनमान के न्यूनतम पर 39,530/- रुपये ही वेतन आगणित होना कहा गया है और सीनियर डिवीजन के स्तर पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान नहीं की गई हैं। उक्त संदर्भ में निवेदन है कि -

शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी.सी. दिनांकित 13-05-2009 प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेडूली कमीशन) द्वारा की गई संस्तुतियों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है। उक्त शासनादेश में स्पष्ट रूप से माननीय शेडूली कमीशन की रिपोर्ट वॉल्यूम-2/संस्तुति सम्बन्धी पैरा 8.48 में पेज 590 पर की गई संस्तुति - "8.48 If selected candidates are having a higher qualification like Post-Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates" का उल्लेख करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2009 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.03.2012 से स्वीकार करते हुए विधि में

Request-95

-2-

स्नातकोत्तर उपाधि धारक उ०प्र० राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई है।

स्पष्ट है कि माननीय शेट्टी आयोग द्वारा यह संस्तुति दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा न्यायिक अधिकारियों को इस बाबत दी जा रही सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये की गई है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया और उसी के अनुरूप उ०प्र० सरकार द्वारा यह शासनादेश जारी किया गया। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त शासनादेश की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान भारत सरकार (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन) के न्याय विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 17-17014/1/98-J03, Dated 24.06.2002 की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ जिसके माध्यम से भारत सरकार (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा इस सम्बन्ध में यह शासनादेश जारी किया गया है कि दिल्ली में कार्यरत विधि में स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक अधिकारी अपनी पूरी सेवाकाल में 3 अग्रिम वेतन वृद्धि पाने के अधिकारी होंगे, यह 3 अग्रिम वेतन वृद्धि उन्हें उच्च वेतनमान में प्रोन्नत होने पर या वेतनमान के पुनरीक्षण पर उच्च वेतनमान/पुनरीक्षण वेतनमान के स्तर पर भी प्राप्त होगी। सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन) के उक्त शासनादेश की छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

स्पष्ट है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिल्ली में कार्यरत विधि में स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक अधिकारियों को प्रत्येक स्तर पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके आलोक में माननीय शेट्टी आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में यह संस्तुति की गई थी, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 21-03-2002 को All India Judges Association Vs Union of India, AIR 2002 SC 1752 के मामले में स्वीकार किया गया है, और उसी के अनुरूप उ० प्र० सरकार द्वारा तदसम्बन्धित शासनादेश भी जारी किया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि आवेदक सीनियर डिवीजन में प्रोन्नति के उपरान्त सीनियर डिवीजन के वेतनमान के स्तर पर भी 3 अग्रिम वेतन वृद्धि दिनांक 14.12.2009 से पाने का अधिकारी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आवेदक को सीनियर डिवीजन के स्तर पर प्रोन्नति के दिनांक 14.12.2009 से 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करते हुये वेतन निर्धारण कर नई वेतन पर्ची जारी करने का कष्ट करें।

आदर सहित।

कार्यालय जिला न्यायाधीश, मथुरा

पत्रां 114/1 दिनांक 21.01.2014

अग्रसारित

जिला न्यायाधीश

मथुरा

21.01.2014

भवनिष्ठ

Rakea
21/01/14

(राकेश त्रिपाठी)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे)

मथुरा

Request-95

31/01/14
A
15-2-14

357/I
15-02-14

5210

पत्रांक / वे0प0प्र0 / ई0आर0पी0 / विविध-न्यायिक / 2014

प्रेषक,

अपर निदेशक,
शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय, उ0प्र0,
नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड,
इलाहाबाद ।

सेवा में,

विशेष सचिव,
नियुक्ति अनुभाग-4,
उ0 प्र0 शासन,
लखनऊ ।

दिनांक 11 फरवरी 2014

विषय:-

उ0प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधि धारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक नियुक्ति अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-1363/दो-4-2009-45(12)/91 टी0सी0 दिनांक 13-05-2009 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-14344/iv एफ 82(loose)/एडमिन(ए) दिनांक 09-10-2013 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिनांक 21-03-2002 अथवा इसके बाद की तिथि से नियुक्त 12 न्यायिक अधिकारियों के पक्ष में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि, मंहगाई भत्ते के साथ स्वीकृति करते हुये आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी थी ।

इस सम्बन्ध में कृपया अवगत कराना है कि चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि नियुक्ति की तिथि से प्रदान किये जाने के सापेक्ष कार्रवाई समूह "ख" की सेवा से सम्बन्धित था, जिसकी वेतन पर्ची जारी नहीं की जाती है । फलस्वरूप जनपद न्यायालय स्तर से नियुक्ति की तिथि को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़कर वेतन निर्धारण शिविर कार्यालय में प्राप्त होने पर समूह "क" की सेवा में पदोन्नति की तिथि को वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर ही वेतन निर्धारित हो रहा है ।

उपरोक्त के कम में न्यायिक अधिकारी तीन अग्रिम वेतन वृद्धि की माँग प्रत्येक स्तर पर पदोन्नत वेतनमान में भी माँग कर रहे हैं। किन्तु शिविर कार्यालय के मतानुसार चयनित न्यायिक अधिकारियों को नियुक्ति की तिथि को ही उसी वेतनमान में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़ते हुये वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए ।

अतः प्रकरण सन्दर्भित करते हुये अनुरोध है कि शासन के उक्त आदेश के कम में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दु पर स्पष्ट आदेश/निर्देश प्रदान कराने का कष्ट करें कि:-

कमशः-----2/पर

Request-95

(2)

(1) न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि नियुक्ति की तिथि को प्राप्त वेतन में जोड़ते हुये वेतन निर्धारित किया जायेगा। या

(2) न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि नियुक्ति की तिथि को प्राप्त वेतन में जोड़ते हुये वेतन निर्धारित किया जायेगा। तथा,

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नति होने पर पुनः सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के वेतनमान का तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़ते हुये लाभ प्रदान किया जायेगा। तथा

उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति पर पुनः उच्चतर न्यायिक सेवा के वेतनमान में तीन अग्रिम वेतन वृद्धि जोड़ते हुये लाभ प्रदान किया जायेगा।

(3) क्या उच्चतर न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के श्रोत से चयनित अभ्यर्थियों को भी तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जायेगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०एस० पाण्डेय)
अपर निदेशक।

पृ०प०संख्या व दिनांक उपर्युक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निबंधक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-14344/iv एफ 82(loose)/एडमिन(ए) दिनांक 09-10-2013 के क्रम में श्री राकेश त्रिपाठी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) मथुरा के प्रत्यावेदन दिनांक 21-01-2014 एवं श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा के प्रत्यावेदन दिनांक 08-01-2014 की छायाप्रति के साथ इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण पर स्पष्ट आदेश/मार्गदर्शन कराने का कष्ट करें।

2- विशेष सचिव, वित्त (वेतन आयोग), उ०प्र० शासन, लखनऊ।

3- जनपद न्यायाधीश आगरा को उनके द्वारा अग्रसारित पत्रांक -100/। दिनांक 10-01-2014 के क्रम में।

4- जनपद न्यायाधीश, मथुरा को उनके द्वारा अग्रसारित पत्रांक 114/। दिनांक 21-01-2014 के क्रम में।

5- निदेशक, कोषागार उ०प्र०, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ।

अवकाशिक,

माननीय जिला न्यायाधीश मथुरा
के लक्ष्य प्रकृत हैं।

(आर०एस० पाण्डेय)
अपर निदेशक।

Sen K of
Information Officer
concerned

DISTRICT JUDGE
MATHURA

प्रथम जिला न्यायाधीश

मथुरा
15-2-14

Request 95

MOST IMMEDIATE

No. 17-17014/1/98-J03
Government of India
Ministry of Law, Justice & Company Affairs
(Department of Justice)

Jaisalmer House, Mansingh Road,
New Delhi - 110011 Dated 24.6.2002

To:
The Secretary,
Department of Law, Justice & Legislative Affairs,
Govt. of NCT., 5, Shaan Nath Marg,
Delhi-110 054.

Subject: Grant of advance increments on Attaining Higher Qualifications in Compliance of Hon'ble Supreme Court of India's Judgment in Identical Cases.

Sir,

1. In pursuance of the Hon'ble Supreme Court order dated 1.2.2002 dismissing SLP No. 1462/2002 titled as Union of India Vs. S.K. Kaushik & Ors. filed by the Union of India against the High Court of Delhi judgment dated 3.8.2001 in LPA No. 390/01 and others identical cases wherein the Hon'ble Delhi High Court had directed Union of India to grant of three advance increments to the petitioner, Sh. S.K. Kaushik Judicial Officer w.e.f. 1.1.1986 and all other similarly situated Judicial Officers throughout their employment as Judicial Officer, and in case the petitioner is placed in a higher or revised pay scale, he will get three advance increments in that higher/revised pay scale in Higher Judicial Service and the arrears payable to the petitioner will be duly worked out and paid to him. I am directed to convey sanction of the Central Government to the grant of 3 advance increments to the petitioner Sh. S.K. Kaushik, a Judicial Officer w.e.f. 1.1.1986 and arrears accrued to him and to all other similarly situated Judicial Officers throughout their employment as Judicial Officer as per the orders dated 20.2.2001 of the Hon'ble High Court.

2. This issues with the approval of Department of Personnel & Training vide their ID No. 3117/JS/02 dated 20.6.2002.

Thanking you.

Self attested
[Signature]
68-04-14

Yours faithfully,

(CHARANJIT SINGH)
DY. SECRETARY
TO THE GOVT. OF INDIA